रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012025-260660
CG-DL-E-31012025-260660

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2025/माघ 10, 1946
No. 56] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2025/MAGHA 10, 1946

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2025

सा.का.नि.85(अ) – केन्द्रीय सरकार जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 27 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ परामर्श करने के पश्चात, निम्नलिखित दिशा-निर्देश बनाती है, अर्थात:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन दिशा निर्देशों का संक्षिप्त नाम जल प्रदूषण नियंत्रण (सहमति प्रदान, इंकार या रद्द) दिशा-निर्देश, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ. (1) इन दिशा निर्देशोंमें, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) ‘‘शुल्क’’ से संस्थापित या संचालित करने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य बोर्डों द्वारा प्रभारित शुल्क अभिप्रेत है।

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्रथम अनुसूची के अधीन निर्धारित प्ररूप अभिप्रेत है;

(ड.) "औद्योगिक इकाई" का अर्थ है उद्योग, संचालन या प्रक्रिया, या उपचार और निपटान प्रणाली;

(च) 'लाल', 'नारंगी', 'हरा' और 'नीला' संकेद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर श्रेणीकृत औद्योगिक क्षेत्रों।कार्यकलापों की श्रेणियां अभिप्रेत हैं।

(छ) "अनुसूची" से इन दिशा निर्देशों के साथ संलग्न अनुसूची से है;

(ज) "राज्य बोर्ड" में संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति भी सम्मिलित है।

(झ) उन शब्दों और पदों के जो इन दिशा निर्देशों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम या नियमों में परिभाषित हैं जो वही अर्थ होंगे जो क्रमश: अधिनियम और इन नियमों में दिया गया है।

अध्याय 2

सहमति हेतु आवेदन और फीस

3. सहमति हेतु आवेदन का प्ररूप और फीस.- (1) अधिनियम की धारा 25 के अधीन औद्योगिक इकाई की स्थापना करने या प्रचालन करने के लिए सहमति हेतु प्रत्येक आवेदन प्रथम अनुसूची में दिए गए प्ररूप में किया जाएगा और उसमें औद्योगिक इकाई का विवरण तथा प्ररूप में दिए गए अन्य विवरण अंतर्विष्ट होंगे और साथ में इन दिशा-निर्देशों के पैरा 5 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जो भी मामला हो, यथा यथाविनिर्दिष्ट फीस भी संलग्न करनी होगी।

(2) अधिनियम की धारा 25 के अधीन विधिमान्यता अवधि समाप्त होने के चार मास पूर्व प्रचालन हेतु सहमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर फीस में पांच प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

(3) अधिनियम की धारा 25 के अधीन अनुमति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन हेतु नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दर से विलम्ब फीस का भुगतान करना होगा:

सारणी

क्र.सं.	**आवेदन करने की अवधि**	**विलम्ब फीस के रूप में अतिरिक्त फीस**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	विधिमान्यता अवधि के 120 से 45 दिनों तक	फीस का 25 प्रतिशत
2	45 दिनों से विधिमान्यता समाप्त होने तक	फीस का 50 प्रतिशत
3	विधिमान्यता समाप्त होने के बाद।	फीस का 100प्रतिशत

4. सहमति की विधिमान्यता अवधि.- (1) स्थापना करने की सहमति, इसके प्रदान किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(2) पांच वर्ष की विधिमान्यता अवधि को धारक द्वारा आवेदन किये जाने पर अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, जिससे स्थापना के लिए सहमति प्रदान किये जाने की तारीख से विधिमान्यता की कुल अवधि सात वर्ष हो जाएगी।

(3) परिचालन के लिए सहमति निम्नलिखित अवधि के लिए विधिमान्य होगी-

(क) लाल प्रवर्ग के औद्योगिक इकाई के मामले में पांच वर्ष;

(ख) नारंगी प्रवर्ग के औद्योगिक इकाई के मामले में दस वर्ष;

(ग) हरित प्रवर्ग के औद्योगिक इकाई के मामले में, पंद्रह वर्ष ।

(घ) नीला प्रवर्ग के औद्योगिक इकाई के मामले में अतिरिक्त दो वर्ष

5. सहमति के लिए फीस-- (1) स्थापित या संचालित करने के लिए अनुमति हेत फीस राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी जो दूसरी अनुसूची में यथानिर्दिष्ट फीस से अधिक नहीं होगी।

(2) द्वितीय अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट की गयी फीस की रकम अधिकतम है और राज्य सरकार, इस संबंध में राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस की न्यूनतम रकम के अध्यधीन कम फीस निर्धारित कर सकेगी तथा फीस की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी, यह सीमा राज्य बोर्ड द्वारा वांछित किसी भी स्तर की हो सकेगी।

IndiaCode

(3) फीस की रकम में पैरा 5(1) में निर्धारित सीमा के भीतर विद्यमान फीस की रकम से दस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं की जा सकेगी तथा दो वर्ष में एक बार से अधिक वृद्धि नहीं की जा सकेगी:

परंतु फीस की रकम में कितनी ही बार कमी की जा सकेगी।

6. सहमति के लिए आवेदन की जांच करने की प्रक्रिया। (1) सहमति के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य बोर्ड अपने किसी अधिकारी को, ऐसे अन्य अधिकारियों के साथ, जो आवश्यक हों, आवेदक या अधिभोगी के नियंत्रण के अधीन किसी स्थान या परिसर का दौरा करने और निरीक्षण करने के लिए, आवेदन में दी गई विशिष्टियों की सत्यता या अन्यथा का सत्यापन करने के लिए या ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियों या जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो ऐसे अधिकारी की राय में आवश्यक हो, प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, उस प्रयोजनार्थ, ऐसे किसी स्थान या परिसर का निरीक्षण कर सकेगा जहां चिमनी से ठोस, तरल या गैसीय उत्सर्जन होता हो या परिसर के भीतर किसी भी स्थान से गैर-इरादतन (फ्यूजिटिव) उत्सर्जन होता हो और ऐसा अधिकारी आवेदक या अधिभोगी से नियंत्रण उपस्कर या प्रणालियों या उसके किसी भाग से संबंधित कोई योजना, विनिर्देश या अन्य डेटा प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझता है।

(3) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी आवेदक के किसी भी परिसर का दौरा करने से पहले आवेदक को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगा।

(4) आवेदक ऐसे अधिकारी को सभी सूचनाएं उपलब्ध कराएगा तथा निरीक्षण के लिए उचित रूप से आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

(5) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, निरीक्षण करने से पहले या उसके पश्चात्, आवेदक से मौखिक रूप से या लिखित रूप में ऐसी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण देने या उसके समक्ष ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिन्हें वह आवेदन की जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे और उस प्रयोजनार्थ आवेदक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को राज्य बोर्ड के कार्यालय में बुला सकेगा।

7. खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के लिए साझी सहमति और प्राधिकार.- खतरनाक एवं अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अधिनियम की धारा 25 के अधीन सहमति प्रदान करने के लिए एकल-चरणीय प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसमें सहमति के साथ ही समय-समय पर यथासंशोधित परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के तहत प्राधिकार भी प्रदान किया जाएगा।

8. सहमति प्रदान करने की अवधि.- (1) अधिनियम की धारा 25 के अधीन प्रत्येक आवेदन पर, आवेदन प्राप्ति की तारीख से नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सभी मामलों में सहमति प्रदान की जाएगी या आवेदन इंकार किया जाएगा:

सारणी

क्र.सं.	**आवेदन**	**अवधि (दिनों में)**		
		लाल	**नारंगी**	**हरा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	स्थापना करने के लिए सहमति प्रदान करना या आवेदन इंकार करना	60	45	30
2	प्रचालन हेतु सहमति प्रदान करना या आवेदन इंकार करना, पहली बार	90	60	30
3	सहमति का नवीनीकरण या विस्तार या संशोधन की सहमति प्रदान करना या आवेदन इंकार करना	120	60	30

(2) यदि सहमति के लिए आवेदन पर राज्य बोर्ड द्वारा उप-पैरा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो मामले को पैरा 15 के अधीन गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति को अग्रेषित किया जा सकेगा, जो आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर उसका निपटान करेगी।

(3) यदि उप-पैरा (2) के अधीन आने वाले आवेदन के मामले में राज्य बोर्ड का सदस्य सचिव मामले को समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(4) समिति ऐसे आवेदन पर निर्णय करते समय, सहमति प्रदान करने या आवेदन इंकार करने में विलम्ब के कारणों पर विचार करेगी तथा जहां विलम्ब के कारण न्यायोचित नहीं होंगे, वहां समुचित अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश करेगी तथा राज्य बोर्ड ऐसे निर्णय की अनुपालना करेगा। समिति अधिनियम की धारा 39ख के अधीन संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष अधिनियम के उल्लंघन का मामला प्रस्तुत करने की भी सिफारिश कर सकेगी।

अध्याय 3

औद्योगिक इकाई की स्थापना करने के लिए मानदंड

9. स्थान के चयन की प्रक्रिया.- (1) केन्द्रीय सरकार के मत में, औद्योगिक आयोजना और विनिर्माण प्रक्रिया में हुए प्रौद्योगिकीय और वैज्ञानिक विकास को ध्यान में रखते हुए,किसी स्थान पर औद्योगिक इकाई स्थापित करने पर प्रतिबंधलगाया जा सकेगा जिससे संवेदनशील क्षेत्रों, जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, आर्द्रभूमियों और पुरातत्व स्मारकों को संरक्षित किया जा सके।

(2) औद्योगिक इकाई , यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, द्वारा निर्धारित संबंधित मानदंडों का अनुपालन करेगा।

(3) औद्योगिक इकाई स्थापित करते समय निम्नलिखित न्यूनतम दूरी बनाए रखी जाएगी, अर्थात:-

(क) निम्नलिखित प्रवर्ग के औद्योगिक इकाई की स्थापना के मामले में राजस्व अभिलेखों के अनुसार सतही जल निकाय (बाढ़ मैदान/एचएफएल/लाल रेखा) की निकटतम सीमा से-

(i) लाल प्रवर्ग के, पांच सौ मीटर से परे;

(ii) नारंगी प्रवर्ग-

(क) बहिस्रावी उत्सर्जन के मामले में, पचहत्तर मीटर से परे;

(ख) बिना बहिस्रावी उत्सर्जन के मामले में, तीस मीटर से परे;

(iii) हरा प्रवर्ग, तीस मीटर से परे;

(ख) निम्नलिखित प्रवर्ग के औद्योगिक इकाई के मामले में बस्ती, शैक्षणिक संस्थान, पूजा स्थल, पुरातात्विक स्मारकों, राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित वन, विरासत स्थल से -

(i) लाल प्रवर्ग के, पांच सौ मीटर से परे;

(ii) नारंगी प्रवर्ग के, दो सौ मीटर से परे;

(iii) हरी प्रवर्ग के, एक सौ मीटर से परे।

(ग) राज्य बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि औद्योगिक इकाई अन्य विधियों, विनियमों और विनियमनों तथा अधिसूचनाओं का अनुपालन करे।

(घ) औद्योगिक इकाई के स्थान से होकर गुजरने वाले प्राकृतिक या तूफानी (स्टॉर्म) नाले को बाधित नहीं किया जाएगा।

अध्याय 4

सहमति प्रदान, इंकार या रद्द करना

10. स्थापना करने के लिए सहमति प्रदान करना.-- (1) अधिनियम की धारा 25 के अधीन औद्योगिक इकाई की स्थापना करने के लिए सहमति हेतु प्रत्येक आवेदन प्ररूप 1 में किया जाएगा और उसमें औद्योगिक इकाई का विवरण होगा तथा उसके साथ नए इकाई हेतु तथा औद्योगिक इकाई के प्रारंभ होने से पूर्व विस्तार, आधुनिकीकरण, उत्पाद या प्रक्रिया में परिवर्तन के मामले में फीस भी संलग्न होगी।

(2) औद्योगिक इकाई पैरा 9 के अधीनविनिर्दिष्ट स्थान संबंधी मानदंडों की अनुपालना करेगा।

(3) किसी भी औद्योगिक इकाई को गैर-अनुरूप क्षेत्रों या प्रतिबंधित या निषिद्ध क्षेत्रों में स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) सहमति के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य बोर्ड अपने किसी अधिकारी को, यथावश्यक ऐसे अन्य अधिकारियों के साथ, आवेदक या अधिभोगी के नियंत्रणाधीन किसी स्थान, जगह या परिसर का दौरा करने और निरीक्षण करने के लिए, आवेदन में दी गई विशिष्टियों की सत्यता या अन्यथा का सत्यापन करने के लिए या ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियां या जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो ऐसे अधिकारी की राय में आवश्यक हो, प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(5) उप-पैरा (4) के अधीन दिये गये रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहमति प्रदान की जाएगी, अर्थात्:-

(i) राज्य बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित विनिर्देशों वाले नियंत्रण उपस्कर उद्योग स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित परिसर में संस्थापित और प्रचालित किए जाएंगे;

(ii) नियंत्रण उपस्कर को हर समय सुचारू स्थिति में रखा जाएगा;

(iii) इस संबंध में राज्य बोर्ड द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों वाली निकासी, जहां भी आवश्यक हो, ऐसे परिसरों में स्थापित की जाएगी; तथा

(iv) राज्य बोर्ड द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी अन्य शर्तें।

IndiaCode

(6) उप-पैरा (5) में विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना राज्य बोर्ड द्वारा इस संबंध में विनिर्धारित ऐसी अवधि के भीतर की जाएगी।

11. प्रचालन हेतु सहमति प्रदान करना। --- (1) एक बार औद्योगिक इकाई के अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली के साथ स्थापित हो जाने और प्रचालन के लिए तैयार हो जाने के पश्चात, अधिभोगी को प्रचालन के लिए सहमति प्राप्त करनी होगी।

(2) अधिनियम की धारा 25 के अधीन औद्योगिक इकाई को प्रचालित करने की सहमति का प्रत्येक आवेदन प्ररूप 2 में करना होगा और जिसमें निम्नलिखित विवरण देना होगा तथा निम्नलिखित रिपोर्ट के साथ प्रचालन की सहमति प्रदान करने हेतु फीस भी संलग्न करनी होगी, अर्थात:-

(क) स्थापना की सहमति में प्राकक्लन की विनिर्धारित शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट;

(ख) पर्यावरणीय स्वीकृति, यदि लागू हो, में विनिर्धारित शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट।

(3) प्रचालन की सहमति के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य बोर्ड अपने किसी अधिकारी को, यथावश्यक ऐसे अन्य अधिकारियों के साथ, आवेदक या अधिभोगी के नियंत्रणाधीन किसी स्थान या परिसर का दौरा करने और निरीक्षण करने के लिए, आवेदन में दी गई विशिष्टियों की सत्यता या अन्यथा का सत्यापन करने के लिए या ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियां या जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो ऐसे अधिकारी की राय में आवश्यक हो, प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को, उप-पैरा (3) के अधीन दी गई रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (4) के अधीन प्रचालन की सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाएगी, अर्थात्:-

(i) राज्य बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसे विनिर्देशों वाले नियंत्रण उपस्कर उस परिसर में प्रचालित किए जाएंगे जहां उद्योग लगाया गया हो;

(ii) विद्यमान नियंत्रण उपस्कर, यदि कोई हो, को राज्य बोर्ड के अनुमोदन के बिना परिवर्तित या प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा;

(iii) खंड (i) या खंड (ii) में विनिर्दिष्ट नियंत्रण उपस्कर को हर समय सुचारू स्थिति में रखा जाएगा;

(iv) राज्य बोर्ड द्वारा यथानुमोदित विनिर्देशों वाली निकासी, जहां लागू हो, का परिसर में प्रचालन और रखरखाव किया जाएगा; तथा उसे ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

(5) उप-पैरा (4) में संदर्भित शर्तों की अनुपालनाराज्य बोर्ड द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करनी होगी।

(6) संचालन की सहमति में सहमति की विधिमान्यता अवधि निर्दिष्ट की जाएगी।

12. प्रचालन हेतु सहमति का नवीनीकरण.--- (1) अधिनियम की धारा 25 के अधीन प्रचालन हेतु सहमति के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 2 में किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित का विवरण होगा तथा प्रचालन हेतु सहमति के नवीनीकरण के लिए फीस भी संलग्न होगा, अर्थात:-

(क) प्रचालन की सहमति में विनिर्धारित शर्तों का अनुपालना रिपोर्ट।

(ख) पर्यावरणीय स्वीकृति, यदि लागू हो, में निर्धारित शर्तों का अनुपालना रिपोर्ट।

(ग) पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय विवरण प्रस्तुत करना;

(घ) खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवागमन) नियम, 2016 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरिणी प्रस्तुत करना; और

(ङ) विनिर्माण प्रक्रिया, उत्पादन क्षमता, प्रदूषण भार, उत्सर्जन में कोई परिवर्तन नहीं करने संबंधी घोषणा।

(2) प्रचालन की सहमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य बोर्ड अपने किसी अधिकारी को, यथावश्यक ऐसे अन्य अधिकारियों के साथ, आवेदक या अधिभोगी के नियंत्रणाधीन किसी स्थान या परिसर का दौरा करने और निरीक्षण करने के लिए, आवेदन में दी गई विशिष्टियों की सत्यता या अन्यथा का सत्यापन करने के लिए या ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियां या जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो ऐसे अधिकारी की राय में आवश्यक हो, प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति को, उप-पैरा (2) के अधीन दी गई रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रचालन की सहमति प्रदान की जाएगी, अर्थात्:-

(i) राज्य बोर्ड द्वारा यथाअनुमोदित ऐसे विनिर्देशों वाले नियंत्रण उपस्कर उस परिसर में प्रचालित किए जाएंगे जहां उद्योग लगाया गया हो;

(ii) विद्यमान नियंत्रण उपस्कर, यदि कोई हो, को राज्य बोर्ड के अनुमोदन के बिना परिवर्तित या प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा;

(iii) खंड (i) या खंड (ii) में विनिर्दिष्ट नियंत्रण उपस्कर को हर समय सुचारू स्थिति में रखा जाएगा;

(iv) राज्य बोर्ड द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के अनुसार निकासी, जहां भी लागू हो, का परिसर में प्रचालन और रखरखाव किया जाएगा; तथा उसे ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

(4) उप-पैरा (3) में संदर्भित शर्तों की अनुपालनाराज्य बोर्ड द्वारा इस संबंध में नियत ऐसी अवधि के भीतर की जाएगी।

(5) प्रदान की गई सहमति में सहमति की विधिमान्यता विनिर्दिष्ट की जाएगी।

13. सहमति से इंकार और रद्द करना.--- (1) राज्य बोर्ड, जिस अवधि के लिए सहमति दी गयी थी, उस अवधि की समाप्ति से पूर्व इसे रद्द कर सकेगा या सहमति की समाप्ति पर, यदि जिन शर्तों के अधीन सहमति दी गई थीवे पूरी नहीं होने पर नवीनीकरण करने से इंकार कर सकेगा।

(2) सहमति को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर इंकार या रद्द किया जा सकेगा, अर्थात :---

(i) यदि औद्योगिक इकाई ऐसे औद्योगिक इकाई की अवस्थिति से संबंधित मानदंडों को पूरा नहीं करे;

(ii) ऐसी सहमति की शर्तों की अनुपालन न की जाए;

(iii) पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के अधीन शर्तों की अनुपालन न की जाए;

(iv) उनकी प्रक्रिया और उसके प्रचालन में परिवर्तन आने पर;

(v) बहिःस्राव निर्वहन मानकों का अनुपालन न करना और नियंत्रण उपकरण या किसी अन्य निर्धारित उपकरण आदि को अपग्रेड करने में विफलता;

(vi) न्यायालय के निदेशों, दिशा-निर्देशों, अधिसूचनाओं और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं की अनुपालन नहीं किए जाने पर।

(vii) पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले अपशिष्ट या उत्सर्जन का आकस्मिक बहिस्राव होने पर;

(viii) दुर्घटना घटित होने पर जिसके परिणामस्वरूप विद्यमान प्रणालियों और पर्यावरण को क्षति पहुँची हो;

(ix) किसी भी समय लागू विधि के अधीन यथा-अपेक्षित किसी भी फीस, पर्यावरण क्षतिपूर्ति या बैंक गारंटी का भुगतान न किये जाने पर;

(x) औद्योगिक इकाई को किसी निषिद्ध क्षेत्र में प्रस्तावित किये जाने या स्थापित किये जाने पर;

(xi) औद्योगिक इकाई से संबंधित अपूर्ण जानकारी या झूठी जानकारी प्रस्तुत करने या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाए जाने पर;

(xii) किसी भी अन्य लागू नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने पर।

(3) सहमति देने से इंकार या रद्द करने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

(4) सहमति देने से इंकार या रद्द करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और जिस व्यक्ति को सहमति देने से इंकार किया गया है, उसे, यथोचित, आवश्यक निर्देशों के साथ विधिवत सूचित किया जाएगा।

अध्याय 5

निगरानी समिति

14. राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति--- (1) राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित सदस्यों वाली एक निगरानी समिति इन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की देखरेख और निगरानी करेगी, अर्थात:-

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार के अपर सचिव या संयुक्त सचिव, जो अधिनियम से संबंधित कार्य देखते हों - अध्यक्ष;

(ख) केंद्रीय बोर्ड के सदस्य सचिव - सदस्य,

(ग) तीन राज्य बोर्डों के सदस्य सचिव, जिन्हें केन्द्रीय सरकार तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट करेगी - सदस्य।

(घ) केंद्र सरकार के अनुमोदन से समिति द्वारा किसी अन्य सदस्य को सहयोजित किया जा सकेगा।

(2) निगरानी समिति की प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बैठक होगी।

15. राज्य स्तरीय निगरानी समिति---(1) राज्य स्तर पर निम्नलिखित सदस्यों वाली एक निगरानी समिति इन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की देखरेख और निगरानी करेगी, अर्थात:-

(क) राज्य सरकार या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के पर्यावरण विभाग का प्रभारी सचिव-अध्यक्ष;

(ख) राज्य बोर्ड के सदस्य सचिव-सदस्य;

(ग) राज्य सरकार के राज्य पर्यावरण विभाग द्वारा नामित कोई अधिकारी – सदस्य सचिव

(घ) केन्द्रीय बोर्ड का क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय निदेशक - सदस्य।

(2) निगरानी समिति अपने समक्ष प्रस्तुत किये गये मामलों का भी निपटान करेगी।

(3) निगरानी समिति की प्रत्येक कैलेंडर मास में कम से कम एक बैठक होगी।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

16. इन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए पोर्टल.- केंद्रीय बोर्ड, राज्य बोर्डों के साथ परामर्श से,इन दिशा निर्देशों के प्रयोजनार्थ, इन दिशा निर्देशों के लागू होने की तारीख से अधिमानतः छह मास के भीतर और अधिकतम एक वर्ष की अवधि में एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा।

2) पोर्टल चालू होने के पश्चात, अधिनियम की धारा 25 के अधीन सहमति प्रदान करने, इसके नवीनीकरण, सत्यापन, साइट निरीक्षण, इंकार या रद्द करने सहित, के लिए सभी आवेदनऐसे पोर्टल पर संसाधित और निपटाये जाएंगे।

(3) पोर्टल विकसित होने तक, अधिनियम की धारा 25 के अधीन सहमति प्रदान करने, इसके नवीनीकरण, सत्यापन, साइट निरीक्षण, इंकार या रद्द करने सहित, के लिए सभी आवेदन वास्तविक रूप से निपटाये जा सकते हैं।

(4) पोर्टल इन दिशा निर्देशों के प्रबंधन और कार्यान्वयन के संबंध में एकल बिंदु डेटा भंडार के रूप में कार्य करेगा।

(5) केंद्रीय बोर्ड स्थापना करने या प्रचालन के लिए सहमति हेतु प्राप्त आवेदनों से मिलने वाली फीस की पांच प्रतिशत रकम, सेवा फीस के रूप में ले सकेगा, जिसे अधिनियम की धारा 36 के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण कोष में जमा किया जाएगा।

17. अतिरिक्त शर्तें राज्य बोर्ड स्थानीय शर्तों और नीतियों के अनुसार, सहमति में अतिरिक्त शर्तें सम्मिलित कर सकेगा, किंतु इन दिशा निर्देशों में विनिर्दिष्ट किसी भी शर्त या मानक का शिथिल नहीं करेगा।

18. उल्लंघन-- इन दिशा निर्देशों के किसी भी उपबंध की अनुपालना करने में विफल रहने की स्थिति में, उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम की धाराओं के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

पहली अनुसूची

[पैरा 2(1)(ख), पैरा 3(1), पैरा 10(1), पैरा 11(2) और पैरा 12(1) देखें]

आवेदन का प्ररूप

प्ररूप I

[पैरा 10(1) देखें]

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के अधीन औद्योगिक इकाई की स्थापना करने के लिए सहमति हेतु आवेदन

प्रेषक

सेवा में,

सदस्य सचिव

----------राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति

महोदय,

मैं/हम मैसर्स _____ के _____ स्थान में स्थित उसके स्वामित्व वाली भूमि/परिसर से निम्नलिखित विवरण के अनुसार जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 25 के अधीन औद्योगिक इकाई या संशोधित उत्पाद, संचालन या प्रक्रिया, या उपचार और निपटान प्रणाली, सीवेज/व्यापारिक अपशिष्ट के निर्वहन के लिए किसी भी निकासी को उपयोग में लाने हेतु सहमति के लिए आवेदन करता/करती हूं/करते हैं।

मेसर्स_____ के स्वामित्व वाली भूमि/परिसर से

स्थान पर_____

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

IndiaCode

आवेदक द्वारा भरा जाए।

भाग क: साधारण

क्र. सं.		**आवश्यक विवरण**	**:**	
1.0		**परियोजना विवरण :**		
	1.1	परियोजना / उद्योग / टीएसडीएफ का नाम	:	
	1.2	परियोजना प्रस्ताव	:	नयी / विस्तार
	1.3	पर्यावरण स्वीकृति का विवरण	:	
	1.4	साइट / इकाई का पता	:	प्लॉट/सर्वे सं. : गाँव : तहसील : ज़िला : राज्य/संघ राज्यक्षेत्र : पिन कोड :
2.0		**आवेदक/अधिभोगी का विवरण:**		
	2.1	आवेदक/अधिभोगीका नाम	:	
	2.2	पदनाम	:	

	2.3	अधिभोगीकी राष्ट्रीयता		
	2.4	पत्राचार का पता	:	प्लॉट / सर्वे सं./ गली : गांव / कस्बा / शहर : तहसील : ज़िला : राज्य/संघ राज्यक्षेत्र : पिन कोड :
	2.5	संयंत्रप्रमुख का संपर्क विवरण और वैकल्पिक विवरण	:	नाम और पदनाम: : 1. 2. ई-मेल पता : 1. 2. लैंडलाइन नंबर : 1. 2. मोबाइल नंबर : 1, 2.
3.0		**कंपनी की विधिक स्थिति :**		
	3.1	वैयक्तिक / स्वामित्व प्रतिष्ठान/ साझेदारी फर्म / संयुक्त परिवार प्रतिष्ठान/ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी / सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी / विदेशी कंपनी / सीमित देयता भागीदारी। *टिप्पण : रजिस्ट्रीकरण संख्या और प्राधिकार का उल्लेख किया जाए।*	:	
	3.2	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/संयुक्त उद्यम (निजी+सरकारी), (सरकार+सरकारी), (निजी+निजी)	:	
4.0		**परियोजना/उद्योग/ कार्यकलाप का स्थान :**		
	4.1	स्थान	:	KML अपलोड करें
	4.2	परिबद्ध अक्षांश (उत्तर) (दशमलव के बाद 8 अंक तक)	:	अक्षांश से : अक्षांश तक :
	4.3	परिबद्ध देशांतर (पूर्व) (दशमलव के बाद 8 अंक तक)	:	से : तक :

IndiaCode

	4.4	संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र, तटीय विनियमन क्षेत्र, जैवमंडल, जलाशय, वन, मैंग्रोव, नदियों, पुरातात्विक स्मारकों, गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र, गैर-प्राप्ति शहर, प्रदूषित नदी खंड, हिल स्टेशन (600 मीटर से अधिक ऊंचाई), प्रमुख कस्बोंऔर शहरों में अवस्थित	:			
	4.5	भारत सर्वेक्षण टोपो संख्या	:			
	4.6	भूमि विवरण (पंचायत, तहसील, जिला के अनुसार)	:	स्वामित्व / पट्टे पर	:	
				कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	:	
				क) गैर-वन भूमि (हेक्टेयर में)	:	
				ख) वन भूमि (हेक्टेयर में)	:	
				पट्टे परहोने की स्थिति में वार्षिक पट्टा मूल्य रु.	:	
				निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	:	
				हरा पट्टी कवर- कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत	:	
	4.7	भूमि का विस्तार वर्ग मीटर में	:	स्वामित्व-कृषि भूमि	:	
				औद्योगिक	:	
				परिवर्तित	:	
				औद्योगिक क्षेत्र	:	
				क) आवेदित और गैर-आवंटित	:	
				ख) आवेदित और आवंटित	:	
				ग) पट्टे पर	:	
5.0		**परियोजना / उद्योग / कार्यकलाप की प्रवर्ग और वर्गीकरण:**				
	5.1	उद्योग का प्रवर्ग (लाल, नारंगी और हरा)	:	प्रवर्ग	:	
				प्रदूषण सूचकांक	:	
	5.2	औद्योगिक क्षेत्र / प्रकार	:			
	5.3	अत्यधिक प्रदूषणकारी / 17 प्रवर्ग / अन्य	:			
	5.4	पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग का पैमाना (सूक्ष्म/लघु/मध्यम/दीर्घ)	:	कुल पूंजी निवेश (रु.)	:	
				पैमाना / वर्गीकरण	:	

IndiaCode

	5.5	उत्पाद / उप-उत्पाद विनिर्माण क्षमता (टीपीडी / टीपीए)	:	**उत्पाद / उप-उत्पाद** : **क्षमता** : : :
	5.6	विनिर्माण क्षमता के लिए कच्चे माल/रसायनों की खपत (टीपीडी और टीपीए)	:	**कच्चा माल** : **खपत** : : :
	5.7	प्रक्रिया प्रवाह चार्ट और सामग्री संतुलन, प्रौद्योगिकी के लाभ आदि सहित संक्षिप्त विनिर्माण प्रक्रिया।	:	**संलग्न किया जाए।**
	5.8	उत्पादन आरंभ होने की तारीख / अपेक्षित तारीख	:	
	5.9	नियोजित/नियोजित किये जाने वाले लोगों की संख्या	:	
	5.10	उद्योग की शिफ्ट / साप्ताहिक अवकाश	:	शिफ्ट (I / II / III) और घंटों में : साप्ताहिक अवकाश के दिन :
	5.11	एमएसआईएचसी नियमों के अनुसार खतरनाक रसायनों का उपयोग	:	**क्र. सं.** / **रसायन** / **एचएस कोड** / **भंडारण क्षमता** / **दैनिक खपत** 1. 2 3.
	5.12	पीएलआई अधिनियम, 1991 के तहत बीमा	:	**क) पॉलिसी सं. और पॉलिसी लेने वाला वर्ष :** **ख) बीमा कंपनी :** **ग) वैधता :** **घ) हानिपूर्ति सीमा (रु.) :** **ङ) ईआरएफ को योगदान (रु.)**

IndiaCode

भाग ख: अपशिष्ट जल पहलू

6.0		**जल उपभोग और अपशिष्ट जल उत्सर्जन**		
	6.1	जल का स्रोत	:	भूजल / नदी / औद्योगिक एस्टेट आपूर्ति / निजी टैंकर / समुद्र / पुनर्चक्रित / कोई अन्य, यदि कोई हो

	6.2	अनुमति देने वाला प्राधिकारी एवं अनुमत मात्रा	:	प्राधिकारी: मात्रा :
	6.3	विनिर्माण क्षमता के लिए जल की खपत (केएलडी)	:	
	6.4	विनिर्माण क्षमता के लिए जल उपयोग। (विभिन्न बिंदुओं पर टीडीएस सहित मात्रा दर्शाते हुए जल शेष संलग्न करें)	:	**प्रयोजन** : **केएलडी** घरेलू : प्रक्रिया : बायलर : अन्य उपयोगिताएँ (कृपया निर्दिष्ट करें) :
	6.5	विनिर्माण प्रक्रिया के लिए अपशिष्ट जल उत्सर्जन (केएलडी)	:	**केएलडी**
		विभिन्न स्रोतों से अपशिष्ट जल	:	**प्रयोजन** : **केएलडी** घरेलू : प्रक्रिया : बायलर : अन्य उपयोगिताएँ (कृपया निर्दिष्ट करें) :
	6.6	अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियाँ	:	**अपशिष्ट का प्रकार** : **केएलडी** **उपचार प्रणाली** जैव-अपघटनीय : गैर-जैव-अपघटनीय : बॉयलर ब्लोडाउन : अन्य उपयोगिताएँ : कोई अन्य कुल :
	6.7	सीवेज उपचार संयंत्र विवरण	:	**क्र.सं.** **एसटीपी की क्षमता** : **केएलडी** 1. 2.
		उपचारित अपशिष्ट के निपटान की विधि		
	6.8	सीवेज उपचार संयंत्र विवरण	:	**क्र.सं.** **एसटीपी की क्षमता** : **केएलडी** 1. 2.
		उपचारित अपशिष्ट के निपटान की विधि	:	

IndiaCode

	6.9	उपचारित अपशिष्ट जल टैंक, गार्ड तालाब, यदि कोई हो, की क्षमता	:	
	6.10	प्रत्येक इकाई संचालन/प्रक्रिया की इनलेट/आउटलेट विशेषताओं के साथ उपचार योजना का योजनाबद्ध आरेख	:	**उपाबंध किया जाए।**
	6.11	नदी/खाड़ी, नदमुख/नाली (सीवर का स्वामी)/समुद्र/भूमि/ईटीपी से जुड़ी हुई, का नाम	:	
	6.12	उपरोक्त मदों में शामिल न की गई कोई भी प्रासंगिक जानकारी	:	

भाग ग: वायु उत्सर्जन पहलू

(चिमनी वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मामले में अपेक्षित जानकारी)

7.0 ईंधनों के प्रकार

7.1 **विनिर्माण क्षमता के लिए प्रति घंटे ईंधन खपत और टीपीडी** :

क्र.सं.	**ईंधन**	**मात्रा**	**ऐश%**	**एस%**
1.	कोयला			
2	डीजल			
3.	भट्टी का तेल			
4.	प्राकृतिक गैस			
5.	लकड़ी			
6.	अन्य, यदि कोई हो			

7.2 स्टैक का विवरण (प्रक्रिया, ईंधन, डी.जी.):

क) ऊंचाई और व्यास (मी.) के साथ स्टैक और वेंट की संख्या

ख) प्रत्येक स्टैक और वेंट से स्टैक उत्सर्जन की गुणवत्ता और मात्रा

ग) वृहद औद्योगिक प्रक्रियाएँ/पलायक उत्सर्जन के स्रोत

घ) उत्सर्जन से निपटने के लिए जल प्रदूषण नियंत्रण इकाइयों का संक्षिप्त विवरण

स्टैक	**से संलग्न**	**ईंधन**	**ऊंचाई (मी)**	**व्यास (मी)**	**प्रदूषक**	**नियंत्रण प्रणाली**	**पोर्ट होल और प्लेटफार्म**

IndiaCode

7.3	डी.जी. सेट	:	**क्र.सं.**	**केवीए**	**ध्वनिक स्थिति**	**ऊंचाई (मी)**	
7.4	उपरोक्त मदों में सम्मिलित न की गई कोई भी प्रासंगिक जानकारी	:					

भाग घ: परिसंकटमय अपशिष्ट पहलू

(परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मामले में अपेक्षित जानकारी)

8.0 खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन

8.1	परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने की प्रक्रिया	:	क्र.सं.	प्रक्रिया	अनुसूची I का खंड	मात्रा/वार्षिक

8.2	हेतु सहमति/ प्राधिकृति आवश्यक है	:	**क्र.सं.**	**गतिविधि**	:	**कृपया टिक करें**
			1.	उत्पादन	:	
			2.	संग्रह	:	
			3.	भंडारण	:	
			4.	परिवहन	:	
			5.	रिसेप्शन	:	
			6.	पुनः उपयोग	:	
			7.	रीसाइक्लिंग	:	
			8.	पुनर्प्राप्ति	:	
			9.	पूर्व प्रसंस्करण	:	
			10.	सह प्रसंस्करण	:	
			11.	उपयोग	:	
			12.	उपचार	:	
			13.	निपटान	:	
			14.	भस्मीकरण	:	
8.3	तकनीकी क्षमताएं/सुविधाएं	:	**क्र.सं.**	**क्षमताएं**	:	
			1.	भंडारण क्षेत्र	:	
			2.	भंडारण मात्रा	:	

IndiaCode

				3.	भंडारण की विधि	:	
				4.	विशेष हैंडलिंग आवश्यकता, यदि कोई हो	:	
				5.	आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रिया	:	
				6.	लीचेट उपचार	:	
	8.4	अपशिष्ट की प्रकृति (विशेषताएं) एवं मात्रा	:	**क) प्रति वर्ष प्रबंधित:** **ख) किसी भी समय संग्रहीत:**			
	8.5	इन नियमों के अनुसार खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के अंतर्गत परिभाषित खतरनाक रसायनों के भंडारण से उत्पन्न खतरनाक और अन्य अपशिष्ट।					
	8.6	उपरोक्त मदों में शामिल न की गई कोई भी प्रासंगिक जानकारी	:				

भाग ङ : भुगतान विवरण

9.0	भुगतान विवरण		
9.1	भुगतान विधि	:	ऑनलाइन/ऑफलाइन
9.2	ऑनलाइन के मामले में लेन-देन का विवरण	:	लेन-देन संख्या: दिनांक: स्थिति:
9.3	ऑफ़लाइन के मामले में ड्राफ्ट का विवरण	:	राशि (रु): ड्राफ्ट संख्या: के पक्ष में: बैंक का नाम: दिनांक:
9.4	**भुगतान किए गए फीस की रकम**	:	रु._____

घोषणा

क) मैं/हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैं/हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार की मिथ्या जानकारी जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 42(च) के अंतर्गत दंडनीय है।

ख) मैं/हम यह स्वीकृत करते हैं कि कच्चे माल, उत्पाद, विनिर्माण प्रक्रिया और उपचार और/या अपशिष्ट, उत्सर्जन, खतरनाक अपशिष्ट आदि के निपटान के संबंध में इस आवेदन में बताई गई बातों में गुणवत्ता और मात्रा में किसी भी परिवर्तन के मामले में; सहमति के लिए एक नया आवेदन किया जाएगा और जब तक नवीन सहमति प्रदान नहीं दी जाती है, तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया

IndiaCode

जाएगा। मैं/हम अवगत हैं कि धारा 25 का उल्लंघन, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है।

ग) मैं/हम इसके साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर मुझे/हमें स्थापना हेतु सहमति जारी की जाएगी और मैं/हम जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 45 (क) या किसी भ्रामक/गलत प्रस्तुति के अंतर्गत जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।

घ) मैं/हम राज्य बोर्ड द्वारा कोई अन्य जानकारी मांगे जाने के एक मास के भीतर प्रस्तुत करने का वचन देते हैं।

दिनांक:

अधिभोगी/

स्थान: **अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर**

स्थापना हेतु सहमति प्रदान करने के लिए संलग्न किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज :

1. लाइसेंस/प्रमाणपत्र:

क. कंपनी की विधिक प्रस्थिति:

i. भागीदारी/स्वामित्व/कंपनी आदि; (या)

ii. एसएसआई/एमएसएमई प्रमाण पत्र (उद्योग आधार)/उद्यमिता ज्ञापन, यदि लागू हो;

ख. परियोजना का स्थान:

i. औद्योगिक क्षेत्र: संबंधित औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड/निगम से आवंटन पत्र/भूमि कब्जा प्रमाण पत्र; या

ii. औद्योगिक क्षेत्र के अनिरिवत: संबंधित प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकृत भूमि विलेख/भूमि रूपांतरण प्रमाण पत्र/संपत्ति के किराए/पट्टा पर होने की स्थिति में किराया (या) पट्टा समझौता;

ग. खनन परियोजना: खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा प्रदत्त खनिज खनन पट्टा अनुमति, यदि लागू हो;

घ. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन जारी भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई **पर्यावरणीय मंजूरी,** यदि लागू हो;

ङ. निवेश: प्रस्तावित पूंजी निवेश के बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र।

2. तकनीकी विवरण:

i. पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन जारी भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2006 के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई हो; या

ii. परियोजना रिपोर्ट जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया (फ्लो चार्ट के साथ लिखित), कच्चा माल, उत्पाद, उप-उत्पाद, भूमि सीमा, विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल स्रोत और खपत, विभिन्न गतिविधियों से अपशिष्ट जल उत्पादन, अपशिष्ट उपचार संयंत्र (फ्लो डायग्राम के साथ लिखित), जल संतुलन, प्रयुक्त ईंधन, उत्सर्जन के स्रोत और प्रस्तावित जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, डी. जी. सेट और प्लांट लेआउट योजना के साथ परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट उत्पादन सम्मिलित हो।

IndiaCode

फॉर्म II

[पैरा 11 (2) और 12 (1) देखिए]

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के अधीन औद्योगिक संयंत्र संचालित करने की सहमति के लिए आवेदन

द्वारा

सेवा में

सदस्य सचिव

_____ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति

IndiaCode

महोदय,

मैं/हम इसके द्वारा जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 25 के तहत एक औद्योगिक इकाई को संचालित करने या सहमति के नवीनीकरण के लिए या संशोधित उत्पाद, संचालन या प्रक्रिया, या सीवेज/व्यापारिक बहिःस्राव का उपचार और निर्वहन के लिए सहमति के लिए आवेदन करता/करती हूं/करते हैं।

मेसर्स_____ के स्वामित्व वाली भूमि/परिसर से

स्थान पर_____

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

आवेदक द्वारा भरा जाना है

भाग क: साधारण

क्र.सं.		अपेक्षित ब्यौरा	:			
1.0		परियोजना का ब्यौरा :				
	1.1	परियोजना का नाम/उद्योग/टीएसडीएफ	:			
	1.2	परियोजना प्रस्ताव	:	विस्तार/नवीनीकरण/विधिमान्यता विस्तार/अंतरण		
	1.3	पर्यावरण मंजूरी का ब्यौरा	:			
	1.4	साइट / यूनिट का पता	:	प्लॉट/सर्वे नंबर	:	
				गांव	:	

				तहसील	:	
				जिला	:	
				राज्य/संघ शासित प्रदेश	:	
				पिन कोड	:	
2.0	**आवेदक/अधिभोगी ब्यौरा:**					
2.1	आवेदक / अधिभोगी का नाम	:				
2.2	पदनाम	:				
2.3	अधिभोगी की राष्ट्रीयता					
2.4	पत्राचार पता	:		प्लॉट/ सर्वे नंबर/ सड़क का नाम	:	
				गांव/कस्बा/शहर	:	
				तहसील/तालुक	:	
				जिला	:	
				राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	:	
				पिन कोड	:	
2.5	**वैकल्पिक ब्यौरा के साथ प्लांट प्रमुख का संपर्क ब्यौरा**	:		नाम और पदनाम:	:	1. 2.
				ई-मेल पता	:	1. 2.
				लैंडलाइन नंबर	:	1. 2.
				मोबाइल नंबर	:	1, 2.
3.0	**कंपनी की विधिक प्रास्थिति:**					
3.1	वैयक्तिक / स्वामित्व समत्थान/ साझेदारी फर्म/ संयुक्त परिवार समत्थान / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/ पब्लिक लिमिटेड कंपनी/ विदेशी कंपनी/ सीमित दायित्व भागीदारी। टिप्पण: रजिसट्रीकरण संख्या और प्राधिकरण का उल्लेख किया जाए।	:				
3.2	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम/राज्य सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम/संयुक्त उद्यम					

IndiaCode

		(निजी+सरकारी), (सरकारी+सरकारी), (निजी+निजी)						
4.0		परियोजना/ उद्योग/ क्रियाकलाप का अवस्थान :						
	4.1	अवस्थान	:	**केएमएल अपलोड करें**				
	4.2	परिबद्ध अक्षांश (उत्तर) (दशमलव के पश्चात 8 अंक)	:	से	:			
				तक	:			
	4.3	परिबद्ध देशांतर (पूर्व) (दशमलव के पश्चात 8 अंक)	:	से	:			
				तक	:			
	4.4	संरक्षित क्षेत्र, तटीय विनियमन क्षेत्र, जैवमंडल, जलाशय, वन, कच्छ वनस्पति, नदियाँ, पुरातात्विक स्मारक, गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र, गैर-प्राप्ति शहर, प्रदूषित नदी खंड, हिल स्टेशन (ऊंचाई > 600 मीटर), प्रमुख कस्बे और शहरों के पारिप्रास्थितिकी-संवेदी क्षेत्र में स्थित	:					
	4.4	भारतीय सर्वेक्षण टोपो शीट संस्था	:					
	4.5	भूमि ब्यौरा (पंचायत, तहसील, जिले के अनुसार)	:	स्वामित्व/पट्टे पर	:			
				कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	:			
				क) गैर-वन (हेक्टेयर में)	:			
				ख) वन (हेक्टेयर में)	:			
				वार्षिक पट्टा मूल्य, पट्टा रुपए की दशा में	:			
				निर्माण क्षेत्र वर्ग मीटर में	:			
				हरित पट्टी का आवरण कुल क्षेत्रफल के % में	:			
	4.6	वर्ग मीटर में भूमि सीमा	:	स्वयं-कृषि	:			
				औद्योगिक	:			
				संपरिवर्तित	:			
				औद्योगिक क्षेत्र	:			
				क) आवेदन किया और आबंटित नहीं किया गया	:			
				ख) आवेदन किया और आबंटित किया गया	:			
				ग) पट्टे पर दिया गया	:			

IndiaCode

5.0	**प्रवर्ग और परियोजना/ उद्योग/ क्रियाकलाप का वर्गीकरण:**			
5.1	उद्योग का प्रवर्ग (लाल, नारंगी और हरा)	:	प्रवर्ग : प्रदूषण सूचकांक :	
5.2	औद्योगिक क्षेत्र/ प्रकार	:		
5.3	अत्यधिक प्रदूषणकारी/ 17 प्रवर्ग/ अन्य	:		
5.4	पूंजी विनिद्धान के आधार पर उद्योग का पैमाना (सूक्ष्म/लघु/मध्यम/बड़ा)	:	कुल पूंजी विनिद्धान (रु.) : पैमाना/वर्गीकरण :	
5.5	उत्पाद/ उप-उत्पाद विनिर्माण क्षमता (टीपीडी/टीपीए)	:	**उत्पाद/उप-उत्पाद** : **क्षमता** : : :	
5.6	विनिर्माण क्षमता के लिए कच्चे माल/ रसायन खपत (टीपीडी और टीपीए)	:	**कच्चा माल** : **खपत** : : :	
5.7	प्रक्रिया प्रवाह चार्ट और सामग्री संतुलन, प्रौद्योगिकी का लाभ आदि के साथ संक्षिप्त विनिर्माण प्रक्रिया।	:	**उपाबंध किया जाए**	
5.8	उत्पादन आरंभ होने की तारीख/ अपेक्षित तारीख	:		
5.9	नियुक्त होने वाले/नियुक्त लोगों की संख्या	:		
5.10	उद्योग शिफ्ट/साप्ताहिक छुट्टी	:	शिट्स (I / II / III) और घंटों में : दिनों में साप्ताहिक छुट्टी :	
5.11	एमएसआईएचसी नियमों के अनुसार परिसंकटमय रसायनों का उपयोग	:	**क्र.सं.** / **रसायन** / **एचएस कोड** / **भंडारण क्षमता** / **दैनिक उपभोग** 1. 2 3.	
5.12	पी एल आई अधिनियम , 1991 के तहत बीमा	:	**क. बीमा संख्या और क्रमांक (जिसके लिए लिया गया)** **ख.बीमा कंपनी** **ग.वैधता**	

IndiaCode

				घ. क्षतिपूर्ति सीमा (रु. में) ड़. ई आर एफ़ में योगदान (रु. में)

भाग ख: अपशिष्ट जल पहलू

6.0	**जल खपत और अपशिष्टजल उत्पादन**		
6.1	जल स्रोत	:	**भूजल/ नदी/ औद्योगिक संपदा आपूर्ति/ निजी टैंकर/ समुद्र/ पुनर्नवीनीकरण/ कोई अन्य, यदि कोई हो**
6.2	अनुमति प्रदानकर्ता प्राधिकारी और अनुमत मात्रा	:	**प्राधिकरण:** **मात्रा:**
6.3	विनिर्माण क्षमता हेतु जल खपत (केएलडी)	:	
6.4	विनिर्माण क्षमता के लिए जल उपयोग। (विभिन्न बिंदुओं पर टीडीएस के साथ मात्रा दिखाते हुए जल संतुलन उपबंध करें)	:	**प्रयोजन** : **केएलडी** घरेलू : प्रक्रिया : बॉयलर : अन्य उपयोगिताएँ (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :
6.5	विनिर्माण प्रक्रिया के लिए अपशिष्ट जल उत्पादन (केएलडी)	:	केएलडी
	विभिन्न स्रोतों से अपशिष्ट जल	:	**प्रयोजन** : केएलडी घरेलू : प्रक्रिया : बॉयलर : अन्य उपयोगिताएँ (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :
6.6	अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली	:	**बहि:स्राव का प्रकार** : **केएलडी** **उपचार प्रणाली** जैव-अपघटनीय : गैर-जैव-अपघटनीय : बॉयलर ब्लोडाउन : अन्य प्रसाधन : कोई अन्य **कुल** :

IndiaCode

6.7	मल उपचार संयंत्र(संयंत्रों) का ब्यौरा	:	**क्र.सं.** / **एसटीपी की क्षमता** / : / **केएलडी** 1. / / / 2. / / /	
	उपचारित बहि:स्राव के निपटान की रीति			
6.8	बहि:स्राव उपचार संयंत्र ब्यौरा	:	**क्र.सं.** / **ईटीपी की क्षमता** / : / **केएलडी** 1. / / / 2. / / /	
	उपचारित बहि:स्राव के निपटान की रीति	:		
6.9	उपचारित अपशिष्ट जल हौदी, गार्ड तालाब, यदि कोई हो, की क्षमता	:		
6.10	प्रत्येक इकाई प्रचालन/प्रक्रिया की इनलेट/आउटलेट विशेषताओं के साथ उपचार स्कीम का स्कीमबद्ध आरेख	:	**उपाबद्ध किया जाए।**	
6.11	प्रक्रिया/मानकों के अनुसार पीएच, एसएस, टीडीएस और मुख्य आयनों, बीओडी/सीओडी, तेल और ग्रीस तथा सुसंगत धातुओं और पोषक तत्वों के संबंध में उपचार पूर्व और पश्चात अपशिष्ट की गुणवत्ता (अंतिम आउटलेट पर)। (ईपीए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से अनुपचारित और उपचारित अपशिष्ट की विश्लेषण रिपोर्ट उपबंध करें) टिप्पण: प्रस्तावित इकाई के लिए अपशिष्ट की अपेक्षित विशेषताएं प्रस्तुत करें	:	**उपाबद्ध किया जाए।**	
6.12	नदी/खाड़ी, नदमुख/नाली (सीवर का स्वामी)/समुद्र/भूमि/ईटीपी से संबद्ध का नाम	:		
6.13	एच एंड ओडब्ल्यू नियम, 2016 के अधीन कवर किए गए 'परिसंकटमय' और 'अन्य' अपशिष्टों के लिए पृथकत: ठोस अपशिष्टों का ब्यौरा और एच एंड ओडब्ल्यू नियम, 2016 के अधीन कवर नहीं किए गए अन्य ठोस अपशिष्टों के साथ-साथ उनकी प्रबंधन प्रणाली का ब्यौरा	:	**उपाबद्ध किया जाए।**	
6.14	उपचार-प्रदर्शन और पर्यावरणीय-अनुपालन निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली का ब्यौरा	:	**उपाबद्ध किया जाए।**	
6.15	उपरोक्त मदों में शामिल नहीं की गई कोई भी सुसंगत जानकारी	:		

IndiaCode

भाग ग: वायु उत्सर्जन पहलू

(चिमनी वाले औद्योगिक स्थापनों की दशा में आवश्यक जानकारी)

7.0 ईंधनों का प्रकार

7.1 विनिर्माण क्षमता के लिए प्रति घंटा ईंधन खपत और टीपीडी :

क्र.सं.	ईंधन	मात्रा	ऐश%	एस%
1.	कोयला			
2	डीजल			
3.	भट्टी का तेल			
4.	प्राकृतिक गैस			
5.	लकड़ी			
6.	अन्य, यदि कोई हो			

7.2 स्टैक का ब्यौरा (प्रक्रिया, ईंधन, डी.जी.):

क) ऊंचाई और व्यास (मी.) के साथ स्टैक और वेंट की संख्या

ख) प्रत्येक स्टैक और वेंट से स्टैक उत्सर्जन की गुणवत्ता और मात्रा

ग) प्रमुख औद्योगिक प्रक्रियाएँ/पलायक उत्सर्जन के स्रोत

घ) उत्सर्जन से निपटने के लिए जल प्रदूषण नियंत्रण इकाइयों का संक्षिप्त ब्यौरा

स्टैक से उपबंध	ईंधन	ऊंचाई (मीटर)	व्यास (मीटर)	प्रदूषक	नियंत्रण प्रणाली	पोर्ट होल और प्लेटफ़ॉर्म

7.3 डी.जी. सेट :

क्र.सं.	केवीए	ध्वनिक प्रास्थिति	ऊंचाई (मी)

7.4 प्रक्रिया/मानकों के अनुसार पीएम, एसओ2, एनओएक्स तथा अन्य सुसंगत जल प्रदूषकों के संबंध में स्रोत उत्सर्जन (उपचार/नियंत्रण से पहले) तथा उपचार/नियंत्रित उत्सर्जन (स्टैक/वेंट पर) के बाद की गुणवत्ता। (ईपीए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से स्टैक उत्सर्जन की विश्लेषण रिपोर्ट उपबंध करें) : **उपबंध किया जाएं**

टिप्पण: प्रस्तावित इकाई के लिए उत्सर्जन

IndiaCode

		की अपेक्षित विशेषताएँ प्रस्तुत करें।		
	7.5	गंधयुक्त यौगिक, यदि कोई हो और उपलब्ध कराए गए नियंत्रण उपाय	:	
	7.6	उपचार/नियंत्रण-निष्पादन और पर्यावरण-अनुपालन निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली का ब्यौरा	:	
	7.7	उपरोक्त मदों में शामिल न की गई कोई सुसंगत जानकारी	:	

भाग घ: परिसंकटमय अपशिष्ट पहलू

(परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पादन करने वाले औद्योगिक स्थापनों के मामले में आवश्यक जानकारी)

8.0 परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन

8.1 परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पादन करने की प्रक्रिया :

क्र.सं.	प्रक्रिया	अनुसूची I का खंड	मात्रा/वार्षिक

8.2 के लिए सहमति आवश्यक :

क्र.सं.	क्रियाकलाप	:	कृपया टिक करें
1.	उत्पादन	:	
2.	संग्रह	:	
3.	भंडारण	:	
4.	परिवहन	:	
5.	रिसेप्शन	:	
6.	पुनः उपयोग	:	
7.	रीसाइक्लिंग	:	
8.	पुनर्बहाली	:	
9.	पूर्व-प्रसंस्करण	:	
10.	सह-प्रसंस्करण	:	
11.	उपयोग	:	
12.	उपचार	:	
13.	निपटान	:	
14.	भस्मीकरण	:	

8.3 तकनीकी क्षमताएं/सुविधाएं :

क्र.सं.	क्षमताएं	:	
1.	भंडारण क्षेत्र	:	

IndiaCode

			2.	भंडारण मात्रा :
			3.	भंडारण की विधि :
			4.	विशेष हैंडलिंग आवश्यकता, यदि कोई हो :
			5.	आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रिया :
			6.	लीचेट उपचार :
8.4	अपशिष्ट की प्रकृति (विशेषताएं) और मात्रा	:	क. प्रति वर्ष प्रबंधित: ख. किसी भी समय भंडारित:	
8.4	उपरोक्त अपशिष्टों के प्रबंधन/निपटान की रीति	:	**क्र.सं.**	**निपटान** : **कृपया टिक करें**
			1.	औद्योगिक इकाई के भीतर सुरक्षित भंडारित :
			2.	संयंत्रों में उपयोग (यदि नहीं, तो कृपया उपयोग का ब्यौरा प्रदान करें) :
			3.	सामान्य टीएसडीएफ :
				राज्य के भीतर :
				राज्य के बाहर :
			4.	अन्य :
8.5	वास्तविक उपयोगकर्ताओं/ टीएसडीएफ तक एच.डब्ल्यू. के परिवहन की व्यवस्था	:		
8.6	सभी अपशिष्टों के सुरक्षित प्रचालन के लिए प्रदान किए गए पर्यावरण सुरक्षा उपायों और पर्यावरण सुविधाओं का ब्यौरा;			
8.7	इन नियमों के अनुसार परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के अधीन परिभाषित परिसंकटमय रसायनों के भंडारण से उत्पादित परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट।			
8.8	उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा (टीएसडीएफ) प्रचालकों के लिए	:	**1. कृपया निम्नलिखित सुविधाओं का ब्यौरा प्रदान करें:** क) लेआउट मानचित्र के साथ साइट का अवस्थान ख) अपशिष्ट का सुरक्षित भंडारण और भंडारण क्षमता ग) उपचार प्रक्रियाएँ और उनकी क्षमताएँ घ) सुरक्षित लैंडफिल ङ) भस्मीकरण, यदि कोई हो च) लीचेट संग्रह और उपचार प्रणाली	

IndiaCode

				छ) अग्निशमन प्रणाली ज) निगरानी सहित पर्यावरण प्रबंधन स्कीम और झ) जनरेटर से अपशिष्ट परिवहन की व्यवस्था। **2. कृपया टीएसडीएफ साइट पर की गई किसी भी अन्य क्रियाकलापों का ब्यौरा प्रदान करें:**
		टिप्पण: 1. प्राधिकरण के नवीनीकरण की दशा में पिछले प्राधिकरण संख्या और तारीखों तथा पिछले तीन वर्षों के वार्षिक रिटर्न की प्रतियां प्रदान करें, जिसमें पूर्व पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट, जहां भी लागू हो, शामिल हो। 2. आपातकालीन प्रतिक्रिया स्कीम (ईआरपी) की प्रति प्रदान करें, जिसमें सीपीसीबी के मार्ग दर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट आपातकालीन प्रास्थितियों (जैसे रिसाव या रिसाव या आग) से निपटने के लिए प्रक्रियाओं का समाधान किया जाना चाहिए। इस तरह की ईआरपी में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन सीमित नहीं होंगे: ➢ घटनाओं को नियंत्रित करना ताकि प्रभावों को कम किया जा सके और व्यक्तियों, पर्यावरण और संपत्ति के लिए खतरे को सीमित किया जा सके; ➢ व्यक्तियों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों को लागू करना; ➢ घटनाओं में स्थितियों को नियंत्रित करने और उनके परिणामों को सीमित करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों का ब्यौरा, जिसमें उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों और संसाधनों का ब्यौरा शामिल है; ➢ कर्मचारियों को उन कर्तव्यों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना जिन्हें उनसे पूर्ति की अपेक्षा की जाती है; ➢ संबंधित अधिकारियों और आपातकालीन सेवाओं को सूचित करने की व्यवस्था; और ➢ ऑफ-साइट उपशमन कार्रवाई के साथ सहायता प्रदान करने की व्यवस्था। 3. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के प्रबंध समय रिसाव, लीकेज या आग लगने की प्रास्थिति में बैंक गारंटी जमा करने के दायरे सहित सभी उपबंधों का पालन करने के लिए शपथ या उद्घोषणा करना।		
8.9	प्री-प्रोसेसर या सह-प्रोसेसर के पुनर्चक्रणकर्ताओं या परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के उपयोगकर्ताओं के लिए	:	क) घरेलू स्रोतों या आयातित या दोनों से प्रति वर्ष प्राप्त विभिन्न अपशिष्टों की प्रकृति और मात्रा ख) जिला उद्योग केंद्रीय या किसी अन्य अधिकृत सरकारी अभिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण के अनुरूप स्थापित क्षमता ग) भंडारण क्षमता सहित अपशिष्टों के सुरक्षित भंडारण का ब्यौरा प्रदान करें। घ) प्रक्रिया ब्यौरा जिसमें उपकरण ब्यौरा, इनपुट और आउटपुट (इनपुट अपशिष्ट, रसायन, उत्पाद, उप-उत्पाद, उत्पादन अपशिष्ट, उत्सर्जन, अपशिष्ट जल, आदि) दर्शाने वाली प्रक्रिया प्रवाह पत्रक शामिल है। ङ) उत्पादों या उप-उत्पादों के अंतिम उपयोगकर्ताओं का ब्यौरा प्रदान करें। च) अपशिष्ट निपटान की रीति सहित प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों जैसे कि अपशिष्ट उपचार संयंत्र, स्क्रबर आदि का ब्यौरा प्रदान करें छ) व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का ब्यौरा प्रदान करें: ज) क्या प्रतिष्ठान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशोंके अनुसार स्थापित की गई है? यदि हाँ, तो दिशा निर्देशोंके अनुपालन पर एक रिपोर्ट प्रदान करें।	

				झ) प्रतिष्ठान तक अपशिष्ट के परिवहन की व्यवस्था:
	8.10	उपरोक्त मदों में शामिल न की गई कोई भी सुसंगत जानकारी	:	

भाग ङ: भुगतान ब्यौरा

9.0	**भुगतान ब्यौरा**			
	9.1	भुगतान का प्रकार	:	ऑनलाइन/ऑफलाइन
	9.2	ऑनलाइन की दशा में संव्यवहार का ब्यौरा	:	संव्यवहार संख्या: तारीख: प्रास्थिति:
	9.3	ऑफ़लाइन की दशा में ड्राफ्ट का ब्यौरा	:	रकम (रु.): ड्राफ्ट संख्या: के पक्ष में: बैंक का नाम: तारीख:
	9.4	संदत फीस की रकम	:	रु. _____

घोषणा

क) मैं/हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैं/हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार की मिथ्यापरक जानकारी जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 42(च) के अधीन दंडनीय है।

ख) मैं/हम एतद्वारा यह स्वीकृत करते हैं कि कच्चे माल, उत्पाद, विनिर्माण प्रक्रिया और उपचार और/या अपशिष्ट, उत्सर्जन, परिसंकटमय अपशिष्ट आदि के निपटान के संबंध में इस आवेदन में बताई गई बातों में गुणवत्ता और मात्रा में किसी भी परिवर्तन के मामले में; सहमति के लिए एक नया आवेदन किया जाएगा और जब तक नवीन सहमति प्रदान नहीं दी जाती है, तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मैं/हम अवगत हैं कि धारा 25 का उल्लंघन, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के सुसंगत उपबंधों के अधीन दंडनीय है।

ग) मैं/हम इसके साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर मुझे/हमें स्थापना हेतु सहमति जारी की जाएगी और मैं/हम जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 45 (क) या किसी भ्रामक/गलत प्रस्तुति के अधीन जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।

घ) मैं/हम राज्य बोर्ड द्वारा कोई अन्य जानकारी मांगे जाने के एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का वचन देते हैं।

तारीख:

अधिभोगी/

स्थान: **अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर**

प्रचालन हेतु सहमति प्रदान करने के लिए संलग्न किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज:

1. अनुज्ञप्तियां / प्रमाणपत्र:

IndiaCode

(क) कंपनी की विधिक प्रास्थिति :

i. साझेदारी / स्वामित्व / कंपनी आदि; या

ii. एसएसआई / एमएसएमई प्रमाणपत्र (उद्योग आधार) / उद्यमिता ज्ञापन, यदि लागू हो;

(ख) परियोजना का अवस्थान:

i. औद्योगिक क्षेत्र: संबंधित औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड/ निगम से आवंटन पत्र/ भूमि धारण प्रमाण पत्र; या

ii. औद्योगिक क्षेत्र से इतर: संबंधित प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकृत भूमि विलेख / भूमि संपरिवर्तन प्रमाणपत्र / यदि संपत्ति किराए / पट्टे पर हो तो, किराया (या) पट्टा करार;

(ग) खनन परियोजना: खान और भूविज्ञान विभाग द्वारा प्रदान की गई खनिज खनन पट्टा अनुमति, यदि लागू हो;

(घ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29 वां) के अधीन जारी भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अधीन, यदि लागू हो, केंद्रीय सरकार या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति;

(ङ) विनिद्धान: प्रस्तावित पूंजी *विनिद्धान* के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाण पत्र।

2. तकनीकी ब्यौरा:

i. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29 वां) के अधीन जारी भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट; या

ii. परियोजना रिपोर्ट जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया (फ्लो चार्ट सहित ब्यौरा), कच्चा माल, उत्पाद, उप-उत्पाद, भूमि विस्तार, विभिन्न प्रस्कीमर्थ जल स्रोत और खपत, विभिन्न क्रियाकलापों से अपशिष्ट जल उत्सर्जन, बहिःस्राव उपचार संयंत्र (फ्लो डायग्राम सहित ब्यौरा), जल शेष, प्रयुक्त ईंधन, उत्सर्जन के स्रोत और प्रस्तावित जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, डीजी सेट और परिसंकटमय तथा अन्य अपशिष्ट उत्पादन के साथ-साथ संयंत्र खाका स्कीम शामिल हो।

3. स्थापना करने के लिए सहमति / विस्तार और नवीनीकरण के लिए सहमति, यथा लागू, की अनुपालन रिपोर्ट।

दूसरी अनुसूची

[पैरा 3(1) देखिए]

क. सहमति के लिए प्रयोज्य वार्षिक शुल्क

1. पूंजी विनिद्धान स्लैब.- पूंजी विनिद्धान स्लैब निम्नानुसार हैं: -

(क) 1 करोड़ रुपये और उससे कम

(ख) 1 करोड़ रुपये से अधिक किंतु 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं

(ग) 10 करोड़ रुपये से अधिक किंतु 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं

(घ) 50 करोड़ रुपये से अधिक किंतु 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं

(ङ) 250 करोड़ रुपये से अधिक किंतु 500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं

(च) 500 करोड़ रुपये से अधिक किंतु 1000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं

(छ) 1000 करोड़ रुपये से अधिक

2) औद्योगिक इकाई के लिए वार्षिक फीस - (क) उद्योग के लिए सहमति प्रदान करने हेतु फीस का निर्धारण पूंजी विनिद्धान और औद्योगिक संयंत्र के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाता है, अर्थात:-

सीएफ = सीआई * एस एफ * पीआईएफ

जहाँ-

- सीएफ : सहमति के लिए वार्षिक फीस (रु. में / विधिमान्यता अवधि)

- सीआई : पूंजी निवेश (रु. में)
- एस एफ : पैमाना कारक (पूजी विनिद्धान पर आधारित)
- पीआईएफ: प्रदूषण सूचकांक कारक (श्रेणी के आधार पर)

ख) पूंजी विनिद्धान स्लैब के अनुसार पैमाना कारक (एस एफ) निम्नलिखित है: -

क्र. सं. (1)	पूंजी विनिद्धान (2)	कारक(एसएफ) (3)
(i)	1 करोड़ रु. और उससे कम	0.100%
(ii)	1 करोड़ रुपये से अधिक किंतु 10 करोड़ रु. से अधिक नहीं	0.080%
(iii)	10 करोड़ रुपये से अधिक किंतु 50 करोड़ रु. से अधिक नहीं	0.060%
(iv)	50 करोड़ रुपये से अधिक किंतु 250 करोड़ रु. से अधिक नहीं	0.040%
(v)	250 करोड़ रुपये से अधिक किंतु 500 करोड़ रु. से अधिक नहीं	0.030%
(vi)	500 करोड़ रुपये से अधिक किंतु 1000 करोड़ रु. से अधिक नहीं	0.020%
(vii)	1000 करोड़ रु. से अधिक	0.010%

(ग) उद्योगों के वर्गीकरण के आधार पर प्रदूषण सूचकांक कारक (पीआईएफ) इस प्रकार हैं-

क्र. सं.	औद्योगिक श्रेणी	पीआईएफ
(1)	(2)	(3)
(i)	*हरित*	1.00
(ii)	*नारंगी*	1.50
(iii)	*लाल*	2.00

(घ) पिछले स्लैब की अधिकतम फीस को अगले स्लैब की मूल फीस के रूप में रखा जाए और स्केल फैक्टर (एसएफ) अंतर रकम पर लागू होगा। ब्यौरा निम्नानुसार है: -

वार्षिक फीस (सीएफ): पिछले स्लैब की अधिकतम फीस + {(सीआई का अंतर)* एसएफ*पीआईएफ}

(ड.) सहमति प्रदान करने के लिए उद्योग / गतिविधि के लिए न्यूनतम वार्षिक फीस, हरा, नांरगी और लाल श्रेणी के लिए क्रमश: रू. 5000, रू. 7500, रू. 10,000 होगी।

3. स्थानीय निकायों और अवसंरचना परियोजनाओं (आवासीय और अन्य) के लिए वार्षिक फीस- (क) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (अ), के अधीन कवर की गई अवसंरचना परियोजनाओं के संबंध में स्थापित करने के लिए वार्षिक फीस का निर्धारण करने के उद्देश्य से पूंजी निवेश दिनांक 14 सितंबर, 2006 को, समय समय पर संशोधित, स्थापना चरण के दौरान पूंजी निवेश पर आधारित होगा। इसे आवासीय (स्टैंडअलोन अपार्टमेंट/ कॉम्प्लेक्स), लेआउट, एकीकृत परियोजनाएं, वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, कार्यालय कॉम्प्लेक्स, शैक्षणिक संस्थान, टाउनशिप और स्थानीय निकाय जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड शामिल हैं। स्थापना हेतु सहमति के लिए वार्षिक फीस औद्योगिक इकाईयों के लिए अपनाए गए फार्मूले के अनुसार की जाएगी, जैसा कि उपर्युक्त पैरा 2 में दिया गया है।

ख) उर्पयुक्त उप-पैरा (क) में परियोजनाओं के प्रचालन की सहमति के लिए वार्षिक फीस उत्सर्जित/ उपचारित मल की मात्रा पर आधारित होगी :

क्र. सं.	उत्सर्जित और उपचारित मल	प्रचालन की सहमति के लिए वार्षिक फीस	
		स्थानीय निकाय और आवासीय (रु.)	आवासीय से इतर (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	10 केएलडी तक	5,000	7,500

IndiaCode

2	10 से 50 केएलडी तक	15,000	22,500
3	50 से 100 केएलडी तक	25,000	37,500
4	100 से 300 केएलडी तक	35,000	52,500
5	300 से 500 केएलडी तक	55,000	82,500
6	500 केएलडी से 1 एमएलडी तक	65,000	97,500
7	1 से 5 एमएलडी तक	75,000	1,12,500
8	5 से 10 एमएलडी तक	1,00,000	15,00,00
9	10 से 25 एमएलडी तक	2,00,000	30,00,00
10	25 एमएलडी से अधिक	4,00,000	60,00,00

4. खनन परियोजनाओं के लिए वार्षिक फीस – (क) खनन परियोजना/क्रियाकलाप हेतु सहमति प्रदान करने के लिए वार्षिक फीस खनन किए जाने वाले खनिज की स्वीकृत क्षमता, खनिज के प्रकार, खनन क्षेत्र और खनन के प्रकार पर आधारित है। फीस का परिकलन निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हुए किया जाएगा-

सीएफ = सीसी * एमएफ * एएफ * टीएमएफ

जहाँ,

- सीएफ: वार्षिक सहमति फीस (रु. / वार्षिक)
- सीसी: खनन किए जाने वाले खनिज की स्वीकृत क्षमता (टन / वार्षिक)
- एमएफ: खनिज कारक (खनिज के प्रकार के आधार पर)
- एएफ: क्षेत्र कारक (खनन क्षेत्र के आधार पर रु. में)
- टीएमएफ: खनन कारक का प्रकार (खनन के प्रकार के आधार पर)

टिप्पण- न्यूनतम फीस : रू. 5000 प्रतिवर्ष

(ख) उत्खनित किये गए खनिज के प्रकार पर आधारित खनिज कारक है :

क्र. सं.	**खनिज पदार्थ**	**खनिज कारक (एमएफ)**
1	मैंगनीज, क्रोमाइट, स्टीटाइट, बैराइट्स, अभ्रक, सोना, यूरेनियम, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता	1
2	लोहा, बॉक्साइट, कोयला	0.8
3	डोलोमाइट, चूना पत्थर, जिप्सम, फेल्डस्पार, गार्नेट, क्वार्ट्ज, सिलिका स्टेट स्टोन, बेंटोनाइट, पायरोपाइलाइट, ग्रेफाइट, फॉस्फोराइट, कले- चीन, व्हाइट, फायर और बॉल	0.6
4	अन्य खनिज जैसे स्टोन क्वारी, ग्रेनाइट, संगमरमर, नदी रेत / नदी तल सामग्री आदि	0.4

(ग) उत्खनन क्षेत्र के आधार पर क्षेत्र कारक (एएफ) हैं :

क्र.सं.	**पट्टे पर क्षेत्र (हेक्टेयर में)**	**क्षेत्र कारक (एएफ)**
1.	5 तक	1.0
2.	5 से ऊपर 25 तक	1.2
3.	25 से ऊपर 100 तक	1.4
4.	100 से ऊपर 500 तक	1.6
5.	500 से ऊपर	1.7

(घ) खनन के प्रकार पर आधारित खनन कारक का प्रकार (टीएमएफ)

क्र.सं.	खनन का प्रकार	खनन कारक के प्रकार (टीएमएफ)
1.	खुली खनन	1.25
2.	भूमिगत खनन	1.00

5. कॉफी पल्पिंग क्रियाकलापों के लिए वार्षिक फीस – (क) प्रचालन क्षमता को पृथक रखते हुए पल्पिंग (वेट और ड्राई पल्पिंग) के प्रकारों को ध्यान में रखते हुए बुनियादी फीस और पल्पिंग कारक के आधार पर कॉफी पल्पिंग के लिए वार्षिक फीस का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा ।

सीएफ़ = बीएफ * पीएफ

जहाँ,

- सीएफ : फीस (रु. / वार्षिक)
- बीएफ : मूल फीस (रु. 2500 प्रतिवर्ष)
- पीएफ : पल्पिंग कारक (पल्पिंग के प्रकार के आधार पर)

(ख) पल्पिंग के प्रकार के आधार पर पल्पिंग कारक (पीएफ):

क्र. सं.	पल्पिंग के प्रकार	पल्पिंग कारक (पीएफ)
1	**2**	**3**
1	वेट पल्पिंग	1.25
2	ड्राई पल्पिंग	1.00

6. जलीय कृषि क्रियाकलापों के लिए वार्षिक फीस - लीज होल्ड क्षेत्र के आधार पर एक्वा कल्चर के लिए वार्षिक फीस का निर्धारिण किया जाएगा और फीस निम्नानुसार है :

क्र. सं.	लीज होल्ड क्षेत्र	फीस (रु. में)
1	5 हेक्टेयर तक	शून्य
2	5 से 25 हेक्टेयर के बीच	रु. 5,000
3	25 से 100 हेक्टेयर तक	रु. 25,000
4	100 हेक्टेयर से अधिक	रु.1,00,000

7. औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन- जल, वायु और भूमि प्रदूषण को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों (उत्पादन की प्रति इकाई संसाधन खपत) के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण उपाय अपनाने वाले और सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पर्यावरण की रक्षा के लिए केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड के निदेशों के बिना स्वैच्छिक पहल करने वाले, राष्ट्रीय या स्थान विशेष के मानकों से कम प्रदूषण स्तर की उपलब्धि हासिल करने वाले औद्योगिक इकाइयों की पहचान की जाएगी। केंद्रीय बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात राज्य बोर्डों द्वारा आगे और प्रोत्साहन दिया जा सकेगा।

ख. स्थापना की सहमति के लिए फीस – स्थापना की सहमति के लिए फीस इस अनुसूची में यथा निर्धारित सहमति की वार्षिक फीस के दो गुने से अधिक नहीं होगी।

ग. संचालन की सहमति के लिए फीस : संचालन की सहमति के लिए फीस इन दिशानिर्देशों के पैरा 4(3) में दी गई सहमति की वार्षिक फीस और सहमति की अवधि को गुणा करके निर्धारित की गई फीस से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. क्यू-15012/1/2022-सीपीडब्ल्यू (ई-240803)]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2025

G.S.R. 85(E).—In exercise of the powers conferred by section 27A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government, after consultation with Central Pollution Control Board, hereby makes the following guidelines, namely: -

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.-(1) These guidelines may be called the Control of Water Pollution (Grant, Refusal or Cancellation of Consent) Guidelines, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. (1) In these guidelines, unless the contest otherwise requires, -

(a) "Act" means the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;

(b) "Central Board" means the Central Pollution Control Board constituted under section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

(c) “Fee” means fee charged by State Boards for granting consent to establish or operate,

(d) "Form" means a form set out under the First Schedule appended to these rules,

(e) ‘Industrial Unit’ means industry, operation or process, or treatment and disposal system.

(f) ‘Red’, ‘Orange’, ‘Green’ and ‘Blue’ are categories of industrial sectors / activities as categorised by Central Pollution Control Board from time to time.

(g) “Schedule” means a Schedule appended to these guidelines;

(h) “State Board” includes the Union Territory Pollution Control Committee.

(i) The words and expression used but not defined in these guidelines and defined in the Act or rules shall have the meaning respectively assigned to them in Act and rules.

IndiaCode

CHAPTER 2

APPLICATION FOR CONSENT AND FEES

3. Form of application for consent and fees. - (1) Every application for consent to establish or operate an industrial unit under section 25 of the Act shall be made in the Form set out under the First Schedule and shall contain the particulars of the industrial unit and such other particulars as set out in the Form and also shall be accompanied by the fee as specified by state government or Union Territory Administration, as the case may be in accordance with provisions of para 5 of these guidelines.

(2) Every application under section 25 of the Act shall be provided five per cent rebate on fees for submitting application for renewal of consent to operate four months prior to the expiry of the validity period.

(3) Every consent renewal application under section 25 of the Act shall be liable to pay late fee, at the rate specified in the Table below:

TABLE

Sl. No.	Period of applying	One time additional fee as late fee
(1)	(2)	(3)
1	Between 120 - 45 days of the validity	25 % of the fee.
2	Between 45 days to till the validity	50 % of the fee.
3	After expiry of validity	100 % the fee.

4. Validity period of consent. - (1) The consent to establish shall be valid for a period of five years from the date it is granted.

(2) The validity period of five years may be extended by a maximum period of two years, if an application is made in this regard, thereby making the total period of validity seven years from the date of grant of consent to establish.

(3) The consent to operate shall be valid for a period of-

(a) five years, in case of industrial unit of red category;

(b) ten years, in case of industrial unit of orange category;

(c) fifteen years, in case of industrial unit of green category.

(d) Additional two years, in case of blue category

5. The fee for Consent --- (1) The fee for consent to establish or operate shall be specified by the state government or union territory administration which shall not be more than that specified in the second schedule.

(2) The amount of fee specified under the Second Schedule is the upper limit of such fee and the State Government may prescribe any lower amount of fee in this regard and there shall be no lower limit for fee, which may be of any level.

(3) The amount of fee shall not be increased by more than ten per cent from the existing amount of fee within the limit prescribed in para 5(1) and shall not be increased more than once in two years:

Provided that the amount of fee may be reduced any number of times.

6. Procedure for making enquiry on application for consent. (1) On receipt of an application for consent, the State Board may depute any of its officers, accompanied by such other officers as may be necessary, to visit and inspect any place or premises under the control of the applicant or the occupier, for verifying the correctness or otherwise of the particulars furnished in the application or for obtaining such further particulars or information, which in the opinion of such officer are essential.

(2) The officer referred to in sub-paragraph (1), for that purpose, may inspect any place or premises where solid, liquid or gaseous emission from the chimney or fugitive emissions from any location within the premises are discharged, and such officer may require the applicant or the occupier to furnish to him any plans, specifications or other data relating to control equipment or systems or any part thereof that he considers necessary.

(3) The officer referred to in sub-paragraph (1) shall, before visiting any of the premises of the applicant, give notice to the applicant of his intention to do so.

(4) The applicant shall furnish to such officer all information and provide all facilities for inspection as reasonably may be necessary.

(5) The officer referred to in sub-paragraph (1) may, before or after carrying out the inspection, require the applicant to furnish him orally or in writing such additional information or clarification or to produce before him such document as he may consider necessary for the purpose of investigation of the application and may for that purpose summon the applicant or his authorised agent to the office of the State Board.

7. Common Consent and authorization for hazardous and other wastes. -A single-step procedure shall be adopted for granting consent under section 25 of the Act along with authorization under the Hazardous and other wastes (Management and Transboundary movement) Rules, 2016, as amended from time to time, for managing hazardous and other wastes.

8. Period for granting consent. - (1) Every application under section 25 of the Act shall be granted or refused consent from the date of receipt of application in all respects within the period specified in the table below:

TABLE

Sl. No.	Application	Period (in days)		
		Red	Orange	Green
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Grant or refusal of consent to establish	60	45	30
2	Grant or refusal of consent to operate, first time	90	60	30
3	Grant or refusal of renewal of consent or expansion or amendment	120	60	30

(2) In case the application for consent is not decided by the State Board within the period specified under sub-paragraph (1), the case shall be referred to State Level Monitoring Committee constituted under paragraph 15 which shall dispose of the application within thirty days from the date of its receipt.

(3) In case of an application falling under sub-paragraph (2), the Member Secretary of the State Board shall present the case before the Committee.

(4) While deciding on such application, the Committee shall look into causes of delay in grant or refusal of the consent and recommend appropriate disciplinary action where the reasons of delay are not justified and the State Board shall comply with such decision. The Committee may also recommend presenting the case for contravention of the Act before concerned adjudicating officer under section 45B of the Act.

CHAPTER 3

CRITERIA FOR ESTABLISHMENT OF INDUSTRIAL PLANT

9. Procedure for selection of location. - (1) Restrictions on establishing an industrial unit at a location may be imposed taking into account the technological and scientific developments that have taken place in industrial planning and manufacturing process in order to protect the sensitive areas, such as national parks, sanctuaries, wetlands and archaeological monuments.

(2) The industrial unit shall comply with respective criteria fixed by the Central Government or the State Government or the Union territory Administration, as the case may be.

(3) While establishing an industrial plant, the following minimum distance shall be maintained, namely:-

(a) from the nearest boundary of surface water body (flood plain/ HFL/Red line) as per the revenue records in case of industrial unit of-

(i) red category, beyond five hundred meters;

(ii) orange category,

(A) with effluent generation, beyond seventy-five meters;

(B) without effluent generation, beyond thirty meters;

(iii) green category, beyond thirty meters;

(b) from the settlement, educational institute, worship place, archaeological monuments, national park, reserve forest, heritage site, in case of industrial unit of -

(i) red category, beyond five hundred meters;

(ii) orange category, beyond two hundred meters;

(iii) green category, beyond one hundred meters.

(c) The State Board shall ensure that other laws, rules, and regulations, and notifications are complied with by the industrial plant.

(d) The natural or storm drain passing through the location of industrial unit shall not be disturbed.

IndiaCode

CHAPTER 4

GRANT, REFUSAL OR CANCELLATION OF CONSENT

10. Grant of consent to establish. - (1) Every application for consent to establish an industrial unit under section 25 of the Act shall be made in Form I and shall contain the particulars of the industrial unit and also shall be accompanied by the fee for new plant and in case of expansion, modernisation, change of products or process before commissioning of the industrial plant.

(2) The industrial unit shall comply with criteria relating to location specified under paragraph 9.

(3) No industrial unit shall be allowed to set up in non-conforming areas or restricted or prohibited areas.

(4) On receipt of an application for consent, the State Board may depute any of its officers, accompanied by such other officers as may be necessary, to visit and inspect any location, place or premises under the control of the applicant or the occupier, for verifying the correctness or otherwise of the particulars furnished in the application or for obtaining such further particulars or information, which in the opinion of such officer are essential.

(5) Consent shall be granted with following conditions under sub- section (4) of section 25 of the Act, based on the report made under sub-paragraph (4), namely: -

(i) the control equipment of such specifications as the State Board may approve shall be installed and operated in the premises where the industry is proposed to be carried on;

(ii) the control equipment shall be kept at all times in good running condition;

(iii) the outlet, wherever necessary, of such specifications as the State Board may approve in this behalf shall be established in such premises; and

(iv) such other conditions as the State Board, may specify in this behalf.

(6) The conditions referred to in sub-paragraph (5) shall be complied with within such period as the State Board may fix in this behalf.

11. Grant of consent to operate. --- (1) Once the industrial unit established with the requisite pollution control system and ready to operate, the occupier is required to obtain consent to operate.

(2) Every application of consent to operate an industrial unit under section 25 of the Act shall be made in Form II and shall contain the particulars of the following and also shall be accompanied by fees for grant of consent to operate, with the following reports, namely: -

(a) Compliance report of conditions stipulated in the consent to establish;

(b) Compliance report of the conditions stipulated in the environment clearance, if applicable.

(3) On receipt of an application for consent to operate, the State Board may depute any of its officers, accompanied by such other officers as may be necessary, to visit and inspect any place or premises under the control of the applicant or the occupier, for verifying the correctness or otherwise of the particulars furnished in the application or for obtaining such further particulars or information, which in the opinion of such officer are essential.

(4) Consent to operate shall be granted with following conditions under sub-section (4) of the section 25 of the Act, based on the report made under sub- paragraph (3), namely:-

(i) the control equipment of such specifications as approved by the State Board shall be operated in the premises where the industry is carried on;

(ii) the existing control equipment, if any, shall not be altered or replaced without the approval of the State Board;

(iii) the control equipment referred to in clause (i) or clause (ii) shall be kept at all times in good running condition;

(iv) outlet, wherever necessary, of such specifications as approved by the State Board shall be operated and maintained in the premises; and shall be connected to online continuous emission monitoring system, as applicable.

(5) The conditions referred to in sub-paragraph (4) shall be complied with within such period as the State Board may specify in this behalf.

(6) Consent to operate granted shall specify the validity period of the consent.

12. Renewal of consent to operate. - (1) Every application for renewal of the consent to operate under section 25 of the Act shall be made in Form II and shall contain the particulars of the following and also shall be accompanied by fee for renewal of the consent to operate, namely:-

(a) compliance report of conditions stipulated in the consent to operate

(b) compliance report of the conditions stipulated in the environment clearance, if applicable

(c) submission of Environmental Statement as specified under the Environment (Protection) Rules, 1986;

(d) submission of annual returns as specified under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016; and

(e) declaration on no change in the manufacturing process, production capacity, pollution load, emissions.

(2) On receipt of an application for renewal of the consent to operate, the State Board may depute any of its officers, accompanied by such other officers as may be necessary, to visit and inspect any place or premises under the control of the applicant or the occupier, for verifying the correctness or otherwise of the particulars furnished in the application or for obtaining such further particulars or information, which in the opinion of such officer are essential.

(3) Consent to operate shall be granted with following conditions under sub-section (4) of the section 25 of the Act, based on the report made under sub- paragraph (2), namely:-

(i) the control equipment of such specifications as approved by the State Board shall be operated in the premises where the industry is carried on;

(ii) the existing control equipment, if any, shall not be altered or replaced without the approval of the State Board;

(iii) the control equipment referred to in clause (i) or clause (ii) shall be kept at all times in good running condition;

(iv) outlet, wherever necessary, of such specifications as approved by the State Board shall be operated and maintained in the premises; and shall be connected to online continuous emission monitoring system, as applicable.

IndiaCode

(4) The conditions referred to in sub-paragraph (3) shall be complied with within such period as the State Board may fix in this behalf.

(5) Renewal of Consent granted shall specify the validity period of the consent.

13. Refusal and cancellation of consent. - (1) The State Board may cancel such consent before expiry of the period for which it is granted or refuse the renewal of the consent expiry if the conditions subject to which such consent has been granted are not fulfilled.

(2) The consent may be refused or cancelled on any of the following grounds, namely: -

(i) the industrial unit does not satisfy the criteria relating to location of such industrial plant;

(ii) non-compliance of conditions of such consent;

(iii) non-compliance of the conditions under the prior environment clearance;

(iv) variation in their process and its operations;

(v) non-compliance of the effluent discharge standards and failure to upgrade the control equipment or any other prescribed equipment, etc.;

(vi) non-compliance of court directions, guidelines, notifications and standard operating procedures;

(vii) accidental discharges of effluent or emission causing grave injury to the environment or human health;

(viii) occurrence of accident resulting in damage to the existing systems and environment;

(ix) non-payment of any fee, environmental compensation or bank guarantee as may be required under any law for the time in force;

(x) industrial unit is proposed or set up in a prohibited area;

(xi) submission of incomplete information or false information or concealment of any material facts pertaining to the industrial plant;

(xii) violations of the provisions of any other applicable rules and regulations.

(3) Before refusing or cancelling a consent, a reasonable opportunity of being heard shall be given to the person concerned.

(4) The reasons for refusal or cancellation of the consent shall be recorded in writing and duly communicated to the person to whom the consent is refused with necessary directions, as deemed fit.

CHAPTER 5

MONINTORING COMMITTEE

14. National Level Monitoring Committee. - (1) A monitoring committee at national level consisting of the following members shall oversee and monitor the implementation of these guidelines, namely: -

a) Additional Secretary or Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, dealing with the Act-Chairman;

b) Member Secretary of the Central Board – Member secretary

c) Member Secretaries of five State Boards to be nominated by the Central Government by rotation for three years -Member.

d) any other member as may be co-opted by the committee with the approval of the central government.

(2) The monitoring committee shall have at least one meeting in every quarter of the year.

15. State Level Monitoring Committee. - (1) A monitoring committee at state level consisting of the following members shall oversee and monitor the implementation of these guidelines, namely: -

a) Secretary to the State Government in-charge of the Department of Environment of the State or Union territory- Chairman;

b) Member Secretary of the State Board- Member,

c) An officer of the state Environment Department nominated by state Government – Member Secretary

d) Regional Director of the Central Board having jurisdiction - Member.

IndiaCode

(2) The monitoring committee shall also dispose of the matters presented before it.

(3) The monitoring committee shall have at least one meeting in every calendar month.

CHAPTER 6

MISCELLANEOUS

16. Portal for implementation of these guidelines. - The Central Board, in consultation with the State Boards, develop an online portal for the purposes of these guidelines, preferably within six months, and not later than one year from the date of notification of these guidelines.

2) After the portal is operational, all applications for grant of consent under section 25 of the Act, its renewal, verification, site inspection, refusal or cancellation, shall be processed and disposed of only through such portal, in all states and union territories.

(3) Till the portal becomes operational, applications for grant of consent under section 25 of the Act, including its renewal, verification, site inspection, refusal or cancellation may be processed through the existing arrangement in accordance with these guidelines.

(4) The portal shall act as a single point data repository with respect to management and implementation of these guidelines.

(5) The Central Board may charge five per cent of the fee received with applications for consent to establish and operate, as service fee which shall be credited to the fund of the Central Pollution Control Board in accordance with the section 36 of the Act.

17. Additional conditions. The State Board may incorporate additional conditions in the consent in accordance with local conditions and policies, but shall not relax any of the conditions or standards specified in these guidelines.

18. Violations. -- In case of failure to comply with any of the provisions of these guidelines, the person in violation shall be liable to action under provisions of the Act.

IndiaCode

THE FIRST SCHEDULE

[See paragraphs 2(1)(d), 3(1), 10(1), 11(2) and 12(1)]

FORMATE FOR APPLICATION

FORM I

[See paragraph 10(1)]

APPLICATION FOR CONSENT TO ESTABLISH AN INDUSTRIAL PLANT, UNDER SECTION 25 OF THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974

From

To

The Member Secretary

----------State Pollution Control Board / Committee

Sir,

I / We hereby apply for consent to establish an industrial unit under section 25 of the Water (Prevention and Control

of Pollution) Act, 1974, (6 of 1974) or for consent to amended product, operation or process, or treatment and disposal system to bring into use any outlet for discharge of sewage / trade effluent.

from a land / premises owned by M/s._____

at location_____

as per the details given below:

TO BE FILLED IN BY APPLICANT

PART A: GENERAL

S. No.	Required Details	:	
1.0	**Project Details :**		
1.1	Name of the Project / Industry / TSDF	:	
1.2	Project Proposal	:	New / Expansion
1.3	Details of Environment Clearance	:	
1.4	Address of the Site / Unit	:	Plot / Survey No : Village : Tehsil : District : State / UT : Pin code :
2.0	**Details of Applicant / Occupier:**		
2.1	Name of the Applicant / Occupier	:	
2.2	Designation	:	
2.3	Nationality of the Occupier		
2.4	Correspondence Address	:	Plot / Survey No/ Street Name : Village / Town / City : Tehsil /Taluk : District : State / UT : Pin code :
2.5	Contact Details of Plant Head with Alternate details	:	Name & Designation: : 1. 2. e-mail address : 1. 2. Landline Number : 1. 2. Mobile Number : 1. 2.

IndiaCode

3.0	**Legal Status of the Company :**			
3.1	Individual / Proprietary concern / Partnership firm/ Joint family concern / Private Limited Company / Public Limited Company / Foreign Company / Limited Liability Partnership. ***Note:*** *Registration Number and Authority shall be mentioned*.	**:**		
3.2	Central Govt. / State Govt./ Central PSU / State PSU / Joint Venture (Pvt. + Govt.), (Govt.+ Govt.), (Pvt.+ Pvt.)	**:**		
4.0	**Location of the Project / Industry / Activity :**			
4.1	Location	**:**	Upload KML	
4.2	Bounded Latitudes (North) (8 digit after decimal)	**:**	From :	
			To :	
4.3	Bounded Longitudes (East) (8 digit after decimal)	**:**	From :	
			To :	
4.4	Located in Eco-Sensitive Zone of Protected Area, Coastal Regulation Zone, Biosphere, Reservoir, Forests, Mangroves, Rivers, Archeological monuments, Critically Polluted Area, Non-attainment Cities, Polluted River Stretch, Hill stations (altitude > 600M), Major towns and Cities	**:**		
4.5	Survey of India Topo Sheet Number	**:**		
4.6	Land details (as per Panchayat, Tehsil, District)	**:**	Owned / Leased :	
			Total Area in Ha :	
			a) Non – Forest in Ha :	
			b) Forest in Ha :	
			Annual Lease Value, in case of Leased in Rs. :	
			Build up Area in Sq. M. :	
			Green Belt cover in % of total area :	
4.7	Extent of Land in Sq. m	**:**	Own-Agricultural :	
			Industrial :	
			Converted :	
			Industrial Area :	
			a) Applied and not allotted :	
			b) Applied and allotted :	
			c) Leased :	
5.0	**Category & Classification of the Project / Industry / Activity :**			
5.1	Category of Industry (Red, Orange, and Green)	**:**	Category :	
			Pollution Index :	

IndiaCode

5.2	Industrial Sector / Type	:		
5.3	Grossly Polluting / 17 Category / Others	:		
5.4	Scale of Industry based on Capital Investment (Micro/ Small / Medium / Large)	:	Total Capital Investment (Rs.) :	
			Scale / Classification :	
5.5	Products / By-Products manufacturing capacity (TPD / TPA)	:	**Products / By-products** : **Capacity**	
			:	
			:	
			:	
5.6	Raw Materials / Chemicals Consumption for manufacturing capacity (TPD & TPA)	:	**Raw Materials** : **Consumption**	
			:	
			:	
			:	
5.7	Brief manufacturing Process with process flow chart and Material Balance, Advantage of Technology etc.	:	**To be Annexed**	
5.8	Date / Expected date of commencement of production	:		
5.9	Number of people to be employed / employed	:		
5.10	Industry Shifts / Weekly off	:	Shits (I / II / III) & in Hours :	
			Weekly off in days :	
5.11	Use of Hazardous Chemicals as per MSIHC Rules	:	**S. No** / **Chemicals** / **HS Code** / **Storage capacity** / **Daily consumption**	
			1.	
			2	
			3.	
5.12	Insurance under PLI Act, 1991	:	**a) Policy No. & Year for which taken:** **b) Insurance Company:** **c) Validity:** **d) Indemnity Limit (Rs) :** **e) Contribution to ERF (Rs):**	

IndiaCode

PART B: WASTEWATER ASPECTS

6.0	**Water Consumption and Wastewater Generation**			
6.1	Source of Water	:	Ground Water / River / Industrial Estate Supply / Private Tanker / Sea / Recycled / Any other, if any	
6.2	Authority Granting permission & Quantity permitted	:	Authority: Quantity :	

6.3	Water Consumption (KLD) for manufacturing capacity	:	
6.4	Water Usage for manufacturing capacity. (Attach Water Balance showing quantity with TDS at different points)	:	**Purpose** : **KLD** Domestic : Process : Boiler : Other Utilities (pl. specify) :
6.5	Wastewater Generation (KLD) for manufacturing process	:	**KLD**
	Wastewater from various sources	:	**Purpose** : **KLD** Domestic : Process : Boiler : Other Utilities (pl. specify) :
6.6	Wastewater Treatment systems	:	**Type of Effluent** : **KLD** **Treatment System** Bio-degradable : Non- Biodegradable : Boiler blowdown : Others Utilities : Any other **Total** :
6.7	Details Sewage Treatment Plant(s)	:	**S. No.** **Capacity of STPs** : **KLD** 1. 2.
	Mode of disposal of treated effluent		
6.8	Details Effluent Treatment Plant (s)	:	**S. No.** **Capacity of ETPs** : **KLD** 1. 2.
	Mode of disposal of treated effluent	:	
6.9	Capacity of treated effluent sump, Guard Pond, if any	:	
6.10	Schematic diagram of the treatment scheme with inlet / outlet characteristics of each unit operation / process	:	**To be Annexed**
6.11	Name of River / Creek, Estuary / Drain (owner of sewer) / Sea / Land / connected to ETP	:	
6.12	Any relevant information not covered in the above items	:	

indiaCode

PART C: AIR EMISSION ASPECTS

(Information required in case of industrial establishments having chimneys)

7.0 Type of Fuels

7.1 Fuel Consumption per Hour and TPD for manufacturing capacity :

S. No	Fuel	Quantity	Ash%	S%
1.	Coal			
2	Diesel			
3.	Furnace Oil			
4.	Natural Gas			
5.	Wood			
6.	Others, if any			

7.2 Details of Stack (Process, fuel, D.G):

a) Number of stacks and vents with height and diameter (m)

b) Quality and quantity of stack emissions from each stack and vent

c) Major industrial processes / sources of fugitive emission

d) Brief account of air pollution control units to deal with the emission

Stack	Attached to	Fuel	Height (m)	Diameter (m)	Pollutants	Control system	Port Hole & Platform

IndiaCode

7.3 D.G. Sets :

S. No.	KVA	Acoustic status	Height (m)

7.7 Any relevant information not covered in the above items :

PART D: HAZARDOUS WASTE ASPECTS

(Information required in case of industrial establishments generating Hazardous Waste)

8.0 Hazardous Waste Management

8.1 Process generating Hazardous waste :

S. No.	Process	Clause of Schedule I	Quantity/ Annum

8.2	Consent / Authorization required for	:	**S. No.**	**Activity**	**:**	**Please tick**
			1.	Generation	:	
			2.	Collection	**:**	
			3.	Storage	**:**	
			4.	Transportation	**:**	
			5.	Reception	**:**	
			6.	Reuse	**:**	
			7.	Recycling	**:**	
			8.	Recovery	**:**	
			9.	Pre-processing	**:**	
			10.	Co-processing	**:**	
			11.	Utilization	**:**	
			12.	Treatment	**:**	
			13.	Disposal	**:**	
			14.	Incineration	**:**	
8.3	Technical Capabilities / Facilities	:	**S. No.**	**Capabilities**	**:**	
			1.	Storage Area	:	
			2.	Storage Quantity	:	
			3.	Method of storage	:	
			4.	Special handling requirement, if any	:	
			5.	Emergency Response Procedure	:	
			6.	Leachate treatment	:	
8.4	Nature (Characteristics of wastes) and quantity of waste	:	a) Handled per annum: b) Stored at any time:			
8.5	Hazardous and other wastes generated as per these rules from storage of hazardous chemicals as defined under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989.	:				
8.6	Any relevant information not covered in the above items	:				

ImageCode

PART E: PAYMENT DETAILS

9.0	**Payment Details**		
9.1	Payment Mode	:	Online / Offline
9.2	Transaction Details in case of online	:	Transaction No: Date: Status:

	9.3	Draft details in case of offline	:	Amount (Rs): Draft No: In favour of: Bank Name: Date:
	9.4	Amount of Fee paid	:	Rs._____

DECLARATION

a) I / We declare that the above furnished information is true and correct to the best of my / our knowledge. I / We am / are aware that furnishing any wrong information is punishable under Section 42(f) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

b) I / We hereby submit that in case of any change from what is stated in this application in respect of raw materials, products, process of manufacture and treatment and/or disposal of effluent, emission, hazardous wastes etc. in quality and quantity; a fresh application for Consent shall be made and until the grant of fresh Consent is granted, no change shall be made. I/ We am/are aware that the violations of Section 25 attract penal provisions under the relevant provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

c) I / We herewith submit an affidavit on the basis of which consent for establishment will be issued to me/us and I/ We will be held responsible under Section 45(A) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 or any misleading / wrong representation.

d) I / We undertake to furnish any other information within one month of its being called by the State Board.

India Code

Date:

Name & Signature of the Occupier/

Place: **Authorized Signatory**

Mandatory Documents to be enclosed for grant of Consent to Establish:

1. **Licenses / Certificates:**

a. ***Legal Status of Company***:

i. Partnership / Proprietary / Company etc.; (or)

ii. SSI / MSME Certificate (Udyog Aadhar) / Memorandum of Entrepreneurship, if applicable;

b. ***Location of the Project:***

i. Industrial Area: Allotment letter from the respective Industrial Area Development Board / Corporation / Land Possession Certificate; or

ii. Other than Industrial Area: Registered Land Deed / Land Conversion Certificate from concerned Authority / Rent (or) Lease Agreement in case of the property is on rent / lease;

c. ***Mining Project:*** Mineral Mining Lease permission granted by the Department of Mines & Geology, if applicable;

d. ***Environmental Clearance*** granted by Central Government or State Environment Impact Assessment Authority, if applicable, under the notification of the Government of India number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

e. ***Investment:*** Charted Accountant Certificate about proposed Capital Investment.

2. **Technical Details:**

i. Environmental Impact Assessment Report, submitted to the Central Government or State Environment Impact Assessment Authority under the notification of the Government of India number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986); or

ii. Project report comprising manufacturing process (write up with flow chart), raw materials, products, by-products, extent of land, water source and consumption for various purpose, wastewater generation from various activity, Effluent Treatment Plant (write up with flow diagram), Water Balance, Fuel used, Sources of emission and Air Pollution Control Devices proposed, D.G. sets and Hazardous and Other Waste Generation along with Plant layout plan.

FORM II

[See paragraphs 11 (2) and 12 (1)]

APPLICATION FOR CONSENT TO OPREATE AN INDUSRTIAL PLANT, UNDER SECTION 25 OF THE WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974

From

To

The Member Secretary

_____ State Pollution Control Board / Committee

Sir,

I / We hereby apply for consent to operate an industrial unit or renewal of consent under section 25 of the Water (prevention & control of pollution) act, 1974 (6 of 1974) or for amended product, operation or process, or treatment and discharge of sewage / trade effluent.

from a land / premises owned by M/s._____

at location_____

as per the details given below:

TO BE FILLED IN BY APPLICANT

PART A: GENERAL

S. No.	**Required Details**	**:**	
1.0	**Project Details :**		
1.1	Name of the Project / Industry / TSDF	**:**	

IndiaCode

1.2	Project Proposal	:	Expansion / Renewal / Validity Extension / Transfer	
1.3	Details of Environment Clearance	:		
1.4	Address of the Site / Unit	:	Plot / Survey No	:
			Village	:
			Tehsil	:
			District	:
			State/UT	:
			Pin code	:
2.0	**Applicant / Occupier Details :**			
2.1	Name of the Applicant / Occupier	:		
2.2	Designation	:		
2.3	Nationality of the Occupier			
2.4	Correspondence Address	:	Plot / Survey No/ Street Name	:
			Village / Town / City	:
			Tehsil /Taluk	:
			District	:
			State / UT	:
			Pin code	:
2.5	Contact Details of Plant Head with Alternate details	:	Name & Designation:	: 1. 2.
			e-mail address	: 1. 2.
			Landline Number	: 1. 2.
			Mobile Number	: 1. 2.
3.0	**Legal Status of the Company :**			
3.1	Individual / Proprietary concern / Partnership firm/ Joint family concern / Private Limited Company / Public Limited Company / Foreign Company / Limited Liability Partnership. *Note: Registration Number and Authority shall be mentioned.*	:		
3.2	Central Govt. / State Govt./ Central PSU / State PSU / Joint Venture (Pvt. + Govt.), (Govt.+ Govt.), (Pvt.+ Pvt.)			
4.0	**Location of the Project / Industry / Activity :**			
4.1	Location	:	Upload KML	
4.2	Bounded Latitudes (North) (8 digit after decimal)	:	From	:
			To	:

IndiaCode

4.3	Bounded Longitudes (East) (8 digit after decimal)	:	From	:		
			To	:		
4.4	Located in Eco-Sensitive Zone of Protected Area, Coastal Regulation Zone, Biosphere, Reservoir, Forests, Mangroves, Rivers, Archeological monuments, Critically Polluted Area, Non-attainment Cities, Polluted River Stretch, Hill stations (altitude > 600 M), Major towns and Cities	:				
4.4	Survey of India Topo Sheet Number	:				
4.5	Land details (as per Panchayat, Tehsil, District)	:	Owned / Leased	:		
			Total Area in Ha	:		
			a) Non – Forest in Ha	:		
			b) Forest in Ha	:		
			Annual Lease Value, in case of Leased in Rs.	:		
			Build up Area in Sq. M.	:		
			Green Belt cover in % of total area	:		
4.6	Extent of Land in Sq. m	:	Own-Agricultural	:		
			Industrial	:		
			Converted	:		
			Industrial Area	:		
			a) Applied and not allotted	:		
			b) Applied and allotted	:		
			c) Leased	:		
5.0	**Category & Classification of the Project / Industry / Activity :**					
5.1	Category of Industry (Red, Orange, and Green)	:	Category	:		
			Pollution Index	:		
5.2	Industrial Sector /Type	:				
5.3	Grossly Polluting / 17 Category / Others	:				
5.4	Scale of Industry based on Capital Investment (Micro/ Small / Medium / Large)	:	Total Capital Investment (Rs.)	:		
			Scale / Classification	:		
5.5	Products / By-Products manufacturing capacity (TPD/ TPA)	:	**Products / By-products**	:	**Capacity**	
				:		
				:		
				:		
5.6	Raw Materials / Chemicals Consumption for manufacturing capacity (TPD & TPA)	:	**Raw Materials**	:	**Consumption**	
				:		
				:		
				:		

Digital Code

	5.7	Brief manufacturing Process with process flow chart and Material Balance, Advantage of Technology etc.	:	**To be Annexed**
	5.8	Date / Expected date of commencement of production	:	
	5.9	Number of people to be employed / employed	:	
	5.10	Industry Shifts / Weekly off	:	Shifts (I / II / III) & in Hours : Weekly off in days :
	5.11	Use of Hazardous Chemicals as per MSIHC Rules	:	**S. No** / **Chemicals** / **HS Code** / **Storage capacity** / **Daily consumption** 1. 2 3.
	5.12	Insurance under PLI Act, 1991	:	**a) Policy No. & Year for which taken:** **b) Insurance Company:** **c) Validity:** **d) Indemnity Limit (Rs) :** **e) Contribution to ERF (Rs):**

PART B: WASTEWATER ASPECTS

6.0		**Water Consumption and Wastewater Generation**		
	6.1	Source of Water	:	Ground Water / River / Industrial Estate Supply / Private Tanker / Sea / Recycled / Any other, if any
	6.2	Authority Granting permission & Quantity permitted	:	Authority: Quantity :
	6.3	Water Consumption (KLD) for manufacturing capacity	:	
	6.4	Water Usage for manufacturing capacity. (Attach Water Balance showing quantity with TDS at different points)	:	**Purpose** : **KLD** Domestic : Process : Boiler : Other Utilities (pl. specify) :
	6.5	Wastewater Generation (KLD) for manufacturing process	:	**KLD**
		Wastewater from various sources	:	**Purpose** : **KLD** Domestic : Process : Boiler : Other Utilities (pl. specify) :

IndiaCode

<table>
<tr><td>6.6</td><td>Wastewater Treatment systems</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><td>Type of Effluent</td><td>:</td><td>KLD</td><td>Treatment System</td></tr>
<tr><td>Bio-degradable</td><td>:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Non- Biodegradable</td><td>:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Boiler blowdown</td><td>:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Others Utilities</td><td>:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Any other</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Total</td><td>:</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.7</td><td>Details Sewage Treatment Plant(s)</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><td>S. No.</td><td>Capacity of STPs</td><td>:</td><td>KLD</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>Mode of disposal of treated effluent</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.8</td><td>Details Effluent Treatment Plant (s)</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><td>S. No.</td><td>Capacity of ETPs</td><td>:</td><td>KLD</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>Mode of disposal of treated effluent</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>6.9</td><td>Capacity of treated effluent sump, Guard Pond, if any</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>6.10</td><td>Schematic diagram of the treatment scheme with inlet / outlet characteristics of each unit operation / process</td><td>:</td><td>To be Annexed</td></tr>
<tr><td>6.11</td><td>Quality of Effluent before & after treatment (at the final outlets) in respect of pH, SS, TDS and constituting major ions, BOD/COD, Oil & Grease, and relevant metals and nutrients as per the process/ standards. (Attach analysis report of untreated and treated effluent from the EPA recognized Lab)
Note: For proposed unit furnish expected characteristics of the effluent</td><td>:</td><td>To be Annexed.</td></tr>
<tr><td>6.12</td><td>Name of River / Creek, Estuary / Drain (owner of sewer) / Sea / Land / connected to ETP</td><td>:</td><td></td></tr>
<tr><td>6.13</td><td>Details of Solid Wastes separately for ‘Hazardous’ and ‘Other’ wastes covered under H&OW Rules, 2016 and other solid wastes not covered under H&OW Rules, 2016, including their management system</td><td>:</td><td>To be Annexed</td></tr>
<tr><td>6.14</td><td>Details of treatment-performance and environmental-compliance monitoring and reporting system</td><td>:</td><td>To be Annexed</td></tr>
<tr><td>6.15</td><td>Any relevant information not covered in the above items</td><td>:</td><td></td></tr>
</table>

IndiaCode

PART C: AIR EMISSION ASPECTS

(Information required in case of industrial establishments having chimneys)

7.0 Type of Fuels

7.1 Fuel Consumption per Hour and TPD for manufacturing capacity :

S. No	Fuel	Quantity	Ash%	S%
1.	Coal			
2	Diesel			
3.	Furnace Oil			
4.	Natural Gas			
5.	Wood			
6.	Others, if any			

7.2 Details of Stack (Process, fuel, D.G):

e) Number of stacks and vents with height and diameter (m)

f) Quality and quantity of stack emissions from each stack and vent

g) Major industrial processes / sources of fugitive emission

h) Brief account of air pollution control units to deal with the emission

Stack	Attached to	Fuel	Height (m)	Diameter (m)	Pollutants	Control system	Port Hole & Platform

7.3 D.G. Sets :

S. No.	KVA	Acoustic status	Height (m)

7.4 Quality of source emission (before treatment/ control) and after treatment/ controlled emission (at stacks/vents) in respect of PM, SO2, NOx, and other relevant air pollutants as per the process/ standards. (Attach analysis reports of stack emissions from the EPA recognized Lab) : **To be Annexed**

Note: For proposed unit furnish expected characteristics of the emissions

7.5 Odorous compounds, if any and control measures provided :

7.6 Details of treatment/control-performance and environmental-compliance monitoring and reporting system :

7.7 Any relevant information not covered in the above items :

IndiaCode

PART D: HAZARDOUS WASTE ASPECTS

(Information required in case of industrial establishments generating Hazardous Waste)

8.0 Hazardous Waste Management

8.1 Process generating Hazardous waste :

S. No.	Process	Clause of Schedule I	Quantity/ Annum

8.2 Consent / Authorization required for :

S. No.	Activity	:	Please tick
1.	Generation	:	
2.	Collection	:	
3.	Storage	:	
4.	Transportation	:	
5.	Reception	:	
6.	Reuse	:	
7.	Recycling	:	
8.	Recovery	:	
9.	Pre-processing	:	
10.	Co-processing	:	
11.	Utilization	:	
12.	Treatment	:	
13.	Disposal	:	
14.	Incineration	:	

8.3 Technical Capabilities / Facilities :

S. No.	Capabilities	:	
1.	Storage Area	:	
2.	Storage Quantity	:	
3.	Method of storage	:	
4.	Special handling requirement, if any	:	
5.	Emergency Response Procedure	:	
6.	Leachate treatment	:	

8.4 Nature (Characteristics of wastes) and quantity of waste :

a) Handled per annum:

b) Stored at any time:

8.4 Mode of Management / Disposal of above Wastes :

S. No.	Disposal	:	Please tick
1.	Secured storage within industrial unit	:	
2.	Utilization with in the plants (if not, please provide details of utilization)	:	
3.	Common TSDF	:	
	Within the State	:	

IndiaCode

			Outside the State :
		4.	Others :
8.5	Arrangement for transportation of H.W. to actual users / TSDF	:	
8.6	Details of the environmental safeguards and environmental facilities provided for safe handling of all the wastes;	:	
8.7	Hazardous and other wastes generated as per these rules from storage of hazardous chemicals as defined under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989.	:	
8.8	For Treatment, storage and disposal facility (TSDF) operators	:	**1. Please provide details of the facility including:** a) Location of site with layout map b) Safe storage of the waste and storage capacity c) Treatment processes and their capacities d) Secured landfills e) Incineration, if any f) Leachate collection and treatment system g) Firefighting systems h) Environmental management plan including monitoring and i) Arrangement for transportation of waste from generators. **2. Please provide details of any other activities undertaken at the TSDF site:**
	Note: 1. In case of renewal of authorization previous authorization numbers and dates and provide copies of annual returns of last three years including the compliance reports with respect to the conditions of Prior Environmental Clearance, wherever applicable. 2. Provide copy of the Emergency Response Plan (ERP) which should address procedures for dealing with emergency situations (viz. Spillage or release or fire) as specified in the guidelines of CPCB. Such ERP shall comprise the following, but not limited to: ➢ Containing and controlling incidents so as to minimise the effects and to limit danger to the persons, environment and property; ➢ Implementing the measures necessary to protect persons and the environment; ➢ Description of the actions which should be taken to control the conditions at events and to limit their consequences, including a description of the safety equipment and resources available; ➢ Arrangements for training staff in the duties which they are expected to perform; ➢ Arrangements for informing concerned authorities and emergency services; and ➢ Arrangements for providing assistance with off-site mitigatory action. 3. Provide undertaking or declaration to comply with all provisions including the scope of submitting bank guarantee in the event of spillage, leakage or fire while handling the hazardous and other waste		
8.9	For Recyclers or pre-processors or co-processors or users of hazardous or other wastes	:	a) Nature and quantity of different wastes received per annum from domestic sources or imported or both b) Installed capacity as per registration issued by the District Industries Centre or any other authorized Government agency.

IndiaCode

				c) Provide details of secured storage of wastes including the storage capacity. d) Process description including process flow sheet indicating equipment details, inputs and outputs (input wastes, chemicals, products, by-products, waste generated, emissions, waste water, etc.). e) Provide details of end users of products or by-products. f) Provide details of pollution control systems such as Effluent Treatment Plant, scrubbers, etc. including mode of disposal of waste g) Provide details of occupational health and safety measures: h) Has the facility been set up as per Central Pollution Control Board guidelines? If yes, provide a report on the compliance with the guidelines. i) Arrangements for transportation of waste to the facility:
	8.10	Any relevant information not covered in the above items	:	

PART E: PAYMENT DETAILS

9.0	**Payment Details**		
9.1	Payment Mode	:	Online / Offline
9.2	Transaction Details in case of online	:	Transaction No: Date: Status:
9.3	Draft details in case of offline	:	Amount (Rs): Draft No: In favour of: Bank Name: Date:
9.4	Amount of Fee paid	:	Rs._____

DECLARATION

a) I / We declare that the above furnished information is true and correct to the best of my / our knowledge. I / We am / are aware that furnishing any wrong information is punishable under Section 42(f) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

b) I / We hereby submit that in case of any change from what is stated in this application in respect of raw materials, products, process of manufacture and treatment and/or disposal of effluent, emission, hazardous wastes etc. in quality and quantity; a fresh application for Consent shall be made and until the grant of fresh Consent is granted, no change shall be made. I/ We am/are aware that the violations of Section 25 attract penal provisions under the relevant provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

c) I / We herewith submit an affidavit on the basis of which consent for establishment will be issued to me/us and I/ We will be held responsible under Section 45(A) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 or any misleading / wrong representation.

d) I / We undertake to furnish any other information within one month of its being called by the State Board.

IndiaCode

Date:

Name & Signature of the Occupier/

Place: **Authorized Signatory**

Mandatory Documents to be enclosed for grant of Consent to Operate:

1. **Licenses / Certificates:**

(a) Legal Status of Company:

i. Partnership / Proprietary / Company etc.; or

ii. SSI / MSME Certificate (Udyog Aadhar) / Memorandum of Entrepreneurship, if applicable;

(b) Location of the Project:

i. Industrial Area: Allotment letter from the respective Industrial Area Development Board / Corporation / Land Possession Certificate; or

ii. Other than Industrial Area: Registered Land Deed / Land Conversion Certificate from concerned Authority / Rent (or) Lease Agreement in case of the property is on rent / lease;

(c) Mining Project: Mineral Mining Lease permission granted by the Department of Mines SS & Geology, if applicable;

(d) Environmental Clearance granted by Central Government or State Environment Impact Assessment Authority, if applicable, under the notification of the Government of India number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(e) Investment: Charted Accountant Certificate about proposed Capital Investment.

2. **Technical Details:**

i. Environmental Impact Assessment Report, submitted to the Central Government or State Environment Impact Assessment Authority under the notification of the Government of India number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986); or

ii. Project report comprising manufacturing process (write up with flow chart), raw materials, products, by-products, extent of land, water source and consumption for various purpose, wastewater generation from various activity, effluent treatment plant (write up with flow diagram), Water Balance, Fuel used, Sources of emission and air pollution control devices proposed, D.G. sets and hazardous and other waste generation along with plant layout plan.

3. **Compliance report of the consent to establish / consent to operate for expansion and renewal, as applicable.**

THE SECOND SCHEDULE

[See paragraph 3(1)]

A. Annual Fees applicable for Consent:

1. Capital investment slabs. - The Capital Investment slabs are as follows: -

(a) Rs. 1 Crore and below

(b) Exceeding Rs. 1 Crore but not exceeding Rs. 10 Crore

(c) Exceeding Rs. 10 Crore but not exceeding Rs.50 Crore

(d) Exceeding Rs. 50 Crore but not exceeding Rs.250 Crore

(e) Exceeding Rs. 250 Crore but not exceeding Rs.500 Crore

(f) Exceeding Rs. 500 Crore but not exceeding Rs.1000 Crore

(g) Exceeding Rs. 1000 Crore

2. Annual Fee for Industrial units. – (a) The annual fee for grant of consent is determined based on the capital investment and categorization of the industrial plant, using the following formula, as follows: -

CF = CI * SF * PIF

Where,

- CF : Annual Fee for consent (in Rs.)
- CI : Capital Investment (in Rs.)
- SF : Scale Factor (based on Capital Investment)
- PIF : Pollution Index Factor (based on category)

(b) The Scale Factor (SF) according to capital investment slabs is as under: -

S. No.	Capital Investment	SF
(1)	(2)	(3)
(i)	Rs. 1 Crore and below	0.100%
(ii)	Exceeding Rs. 1 Crore but not exceeding Rs.10 Crores	0.080%
(iii)	Exceeding Rs. 10 Crores but not exceeding Rs.50 Crores	0.060%
(iv)	Exceeding Rs. 50 Crores but not exceeding Rs.250 Crores	0.040%
(v)	Exceeding Rs. 250 Crores but not exceeding Rs.500 Crores	0.030%
(vi)	Exceeding Rs. 500 Crores but not exceeding Rs.1000 Crores	0.020%
(vii)	Exceeding Rs. 1000 Crores	0.010%

(c) The Pollution Index Factor (PIF) based on categorization of Industry is as under: -

S. No.	Category of Industrial	PIF
(1)	(2)	(3)
(i)	Green	1.00
(ii)	Orange	1.50
(iii)	Red	2.00

(d) The maximum annual fee of the preceding slab shall serve as the base fee for the next slab, with the Scale Factor (SF) applicable on the difference amount. The details are as under: -

Annual Fee (CF) = Max. fee of the preceding slab + {(Diff. of CI) * SF * PIF}

(e) The minimum annual fee for grant of consent shall be Rs.5,000, Rs. 7,500 and Rs. 10,000 for Green, Orange and Red Category industry / activity respectively.

3. Annual Fee for local bodies and infrastructure projects (residential and others). - (a) The capital investment for the purpose of determining annual fee for consent to establish w.r.t. infrastructure projects, as covered under the notification of the Government of India number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, as amended from time to time, shall be based on the capital investment during the establishment phase. This includes Residential (Standalone Apartment / complexes), Layouts, Integrated projects, Commercial Complex, Office Complex, Education Institutions, Township and Local Body including Water Supply and Sewerage Board. The annual fee for Consent to Establish shall be calculated using the formula adopted for the industrial units, as above at para. 2 above.

(b) The annual fee for consent to operate of the projects at sub para (a) above, shall be based on the quantity of sewage generated / handled, as given below: -

S. No.	Sewage generated /handled	Annual Fee for Consent to Operate	
		Local Bodies and Residential (Rs.)	Other than Residential (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Up to 10 KLD	5,000	7,500

IndiaCode

2	Above 10 - 50 KLD	15,000	22,500
3	Above 50 - 100 KLD	25,000	37,500
4	Above 100 - 300 KLD	35,000	52,500
5	Above 300 - 500 KLD	55,000	82,500
6	Above 500 - 1 MLD	65,000	97,500
6	Above 1 to 5 MLD	75,000	1,12,500
7	Above 5 to 10 MLD	1,00,000	15,00,00
8	Above 10 MLD to 25 MLD	2,00,000	30,00,00
9	Above 25 MLD	4,00,000	60,00,00

4. Annual Fees for mining projects. – (a) The annual fee for grant of consent for mining project / activity will be determined based on the consented capacity of the mineral to be mined, the type of mineral, the mining area, and the type of mining. The fee shall be calculated using the following formula -

CF = CC * MF * AF * TMF

Where,

- **CF: Annual Consent fees (in Rs.)**
- **CC: Consented Capacity of Mineral to be mined (in Tonne / Annum)**
- **MF: Mineral Factor (based on type of Mineral)**
- **AF: Area Factor (in Rs. based on mining area)**
- **TMF: Type of Mining Factor (based on type of mining)**

Note: **Minimum fees: Rs. 5,000 per annum**

(b) The Mineral Factor (MF) based on type of mineral mined are:

S. No.	Minerals	Mineral Factor (MF)
1	Manganese, Chromite, Steatite, Barites, Mica, Gold, Uranium, Silver, Copper, Lead, Zinc	1.0
2	Iron, Bauxite, Coal	0.8
3	Dolomite, Limestone, Gypsum, Feldspar, Garnet, Quartz, Silica State Stone, Bentonite, Pyropylite, Graphite, Phosphorite, Clays – China, White, Fire and Ball	0.6
4	Other minerals such as stone quarry, Granite, Marble, River Sand / River bed material etc.	0.4

(c) The Area Factor (AF) based on mining area:

S. No.	Lease hold area in ha	Area Factor (AF)
1	**Up to 5**	**1.0**
2	**Above 5 to 25**	**1.2**
3	Above 25 to 100	**1.4**
4	Above 100 to 500	**1.6**
5	Above 500	**1.7**

(d) The Type of Mining Factor (TMF) based on types of mining:

S. No.	Types of Mining	Types of Mining Factor (TMF)
1	**Open cast mining**	**1.25**
2	**Underground mining**	**1.00**

IndiaCode

5. Annual Fees for coffee pulping activities. - (a) The annual fee for coffee pulping shall be determined on the basic fee and pulping factor, taking into account the types of pulping (i.e. wet and dry pulping) irrespective of capacity of operation, as it is a seasonal production. The fees is calculated using the following formula -

$$CF = BF * PF$$

Where,

- **CF: Fee (in Rs)**
- **BF: Basic Fee (i.e. Rs. 2,500 per annum)**
- **PF: Pulping Factor (based on type of pulping)**

(b) The Pulping Factor (PF) based on the type of pulping:

S. No.	Types of Pulping	Pulping Factor (PF)
1	2	3
1	**Wet pulping**	**1.25**
2	**Dry pulping**	**1.00**

6. Annual Fees for Aqua Culture activities. – (1) The annual fee for aqua culture shall be determined based on the lease hold area, and the fees as follows : -

S. No.	Lease hold area	Fees (Rs.)
1	**Up to 5 Ha**	**Nil**
2	**Between 5 to 25 Ha**	**5,000**
3	**Above 25 to 100 Ha**	**25,000**
4	**More than 100 Ha**	**1,00,000**

IndiaCode

7. Incentives to industrial units. - The industrial units that adopt environmental conservation measures to reduce water, air and land pollutions, conserve natural resources (resource consumption per unit production) and undertake voluntary initiatives without directions of the Central Board or State Board to protect the environment using best technologies, cleaner technology, achieving levels below the national or location specific standards, shall be identified. Further Incentives may be given by the State Board after consulting the Central Board.

B. Fee for consent to Establish: The fee for obtaining consent to establish shall not exceed twice the annual fee of consent as prescribed in this Schedule.

C. Fee for consent to operate: The fee for obtaining consent to operate shall not be more than that determined by multiplying annual fee of consent and period of consent as given in para 4(3) of these guidelines.

[F. No. Q-15012/1/2022-CPW(e-240803)]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.01.31 22:46:45 +05'30'